Ok"kZ % 40(vad % 07 (tqykbZ % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

30 मई 2018

सीटू का 48वां स्थापना दिवस

सीटू के सदस्य शपथ लेते हुए

(रिपोर्ट पृ० 17)

मुम्बई की सीएट फैक्ट्री में

पंजाब में

बिजली कर्मचारियों व इन्जीनियरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

(रिपोर्ट पृ० 19)

संबोधित करते सीटू महासचिव तपन सेन; मंचासीन नेतागण; संघर्षरत प्रतिनिधि

ग्रामीण डाक सेवकों की पूर्ण हड़ताल

(रिपोर्ट पृ० 18)

jk"Vh; nfudk e Ni gMrky lc/kh QkVk

सीटू मजदूर

lhvkbVh; dk e[ki=

जुलाई 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

5 सितम्बर के मुद्दे	5
जन एकता जन अधिकार 23 मई के कार्यक्रम	16
सीटू का 48वाँ स्थापना दिवस	17
उद्योग व क्षेत्र	18
राज्यों से	22
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	26

सम्पादकीय

5 सितम्बर को मजदूर किसान मार्च

,-vkb-d-,l- vkj ,-vkb-,-MCY;-;- d lkFk feydj lhVU ij n'k e etnjk] fdlkuk vkj [kr etnjk dk vkºoku fd;k g fd 5 flrcj] 2018 dk lln ij cM+s iekus ij vf[ky Hkkjrh; etnj&fdlku ekp e 'kkfey gkdj bl ,frgkfld cuk,A

;g etnj&fdlku ekp] vkj,l,l&chtih dh dUnz ljdkj dk rRdky prkouh nus d okLr g fd lHkh egurd'kk ij c'kekj vkfFkd] —f"k vkj lkekftd rdyhQ <gkus okyh tu&fojk/kh] uomnkjoknh vkfFkd vkj lkçnkf;d foHkktudkjh uhfr;k dk rjr jkdk tk, vkj ijh rjg l cnyk tk,A

;g etnj&fdlku ekp] etnjk] fdlkuk] [kr etnjk vkj vU; vkfFkd :i l ofpr vkj lkekftd :i l mRihfM+r vkj gkf'k, oky rcdk d thou] vkthfodk vkj dM+s l?k"kk l gkfly vf/kdkjk vkj turk d ykdrkf=d vf/kdkjk dh j{kk d fy, gA

;g etnj&fdlku ekp] oxh; ,drk vkj ,dtV tu vknkyu dk çnf'kr dju d fy, g(vkj egurd'k turk dk foHkkftr djd vkj c<r oxh; ,o tu l?k"kk dk okf/kr djr g,] cM+s dkjikjVk vkj HkLokfe;k d fgrk dh uhfr;k dk ijkLr d fy, gA

;g etnj&fdlku ekp] vYil[;dk] vulfpr tutkfr;k] vulfpr tutkfr;k vkj efgykvk d vf/kdkjk vkj mud lkFk gku oky HknHkko] ofpr j[ku vkj gkf'k, ij Mkyu d f[kykQ rFkk mu ij c<r geyk d f[kykQ] ,dtVrk l yMu d fy, ,drk o –< ldYi dk çnf'kr dju d fy, gA

lln ij 5 flrcj dk etnj&fdlku ekp l igy] o 9 vxLr dk ftyk e[;ky;k ij fxj¶rkfj;k ndj ,d vkj ehy dk iRFkj dk;e djx(vkj Lor=rk dh io l/;k ij] lfo/kku e ÁfrLFkkfir ^ge Hkkjr d ykx* d ok;n dk ;kn djku d fy,] etnj 14 vxLr dh e/;jkf= l Ákr 15 vxLr] 2018 dk eukdj ,d vkj ehy dk iRFkj dk;e djxA

lhVU d >M+s ij vfdr gFkkM+k vkj gl vk dh ,drk dk] vkj of'od Lrj ij etnjk&fdlkuk d l;ä l?k"kk dh fojklr] 5 flrcj dk gku oky bl vf[ky Hkkjrh; etnj&fdlku ekp e vkj mld ckn QyhHkr gkxhA

5 flrcj] 2018 dk lln ij vf[ky Hkkjrh; etnj&fdlku ekp!

शोक संवेदना

कामरेड सत्यप्रकाश

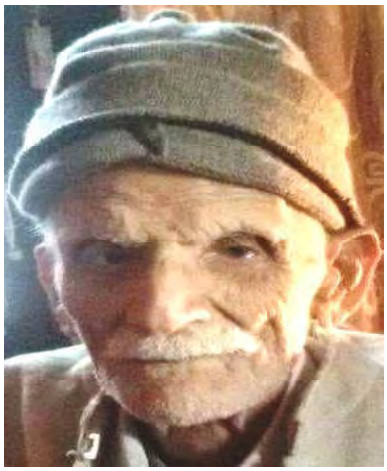

सीटू ने एक शोक संवेदना बयान में स्वतन्त्रता सेनानी, अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता तथा सीटू की उत्तराखंड राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड सत्यप्रकाश के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। उनका निधन 94 वर्ष की उम्र में 14 जून, 2018 को हुआ। कॉमरेड सत्यप्रकाश, जिन्हें सब 'बाबूजी' कहते थे, राज्य के जनवादी तबकों के बीच एक पिता की तरह थे। उन्होंने मजदूरों, किसानों तथा विस्थापित लोगों के भूमि अधिकारों, मजदूरों के हकों व पुर्नवास के लिए कई जुझारू संघर्षों का नेतृत्व किया था। उनका निधन आमतौर पर राज्य के जनवादी आंदोलन के लिए तथा विशेषरुप से मजदूर आंदोलन के लिए एक अपूर्णनीय क्षति है।

सीटू दिवंगत नेता को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देता है तथा कामरेड सत्यप्रकाश के शोकाकुल परिवार को हार्दिक संवेदनायें प्रकट करता है।

भारत के डुबाऊ कर्जे :

यहाँ उन 12 कंपनियों की सूची दी जा रही है जिनके पास कुल गैर निष्पादित सम्पत्तियों (एन.पी.ए.) का 25 प्रतिशत है

कंपनिया	डुबाऊ कर्ज (करोड़ रु० में)	कंपनिया	डुबाऊ कर्ज (करोड़ रु० में)
भूषण स्टील	44, 478	मोनेर इस्पात एंड एनर्जी	12, 115
लेंको इंफ्राटेक	44, 364	इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स	10, 373
एस्सार स्टील	37, 284	इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग	10, 065
HkW[k ki kWj	37] 248	t si h bZ[kZ kVs	09] 635
vky ks bZLVhV	22] 075	, cht hf"ki ; kWZ	06] 953
, eVs vkWks	14] 074	T; ks LVhDpl Z	05] 165

मजदूरों–किसानों–खेत मजदूरों की 5 सितम्बर को संसद पर संयुक्त रैली

अभियान के मुद्दे

बढ़ती कीमतें

मोदी सरकार का दावा है कि उसने पिछले 4 वर्षों में मुद्रास्फीति को जैसे शून्य कर दिया है। इस दावे के लिए उसने आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का सहारा लिया है। इस सरकार के अधिकांश दावे शेखी बघारने वाले और खोखले ही हैं, क्योंकि कामकाजी जनता को अपने अनुभव से और जरुरतों के लिए रोजमर्रा के संघर्ष से इसका बहुत अच्छे से पता है। यहाँ तक कि आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अनुमान है कि मई 2014, जब यह सरकार बनी थी, से अप्रैल 2018 जिसका सूचकांक उपलब्ध है के बीच ग्रामीण भारत में कीमतों में औसतन 21% की वृद्धि हुई है। सूचकांक से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में, कीमतें लगभग 17% बढ़ी हैं। यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के सरकार के दावों पर संदेह कर रहा है।

यहाँ तक कि अगर हम आधिकारिक मूल्य सूचकांक की संख्याओं को वैसा ही मान लें, तो भी वे इस अवधि में कीमतों में औसत बदलाव को ही दर्शाते हैं। तथ्य यह है कि विशिष्ट वस्तुओं की कीमतें इन चार वर्षों में समय–समय पर भारी स्तर तक बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, कौन भूल सकता है कि सितंबर–नवंबर 2015 में अरहर दाल की कीमत 200 रुपये प्रति किलो हो गई थी? या 2017 की शुरुआत में चीनी की कीमत 50 रुपये प्रति किलो हो गई थी। मोदी सरकार के पहले वर्ष में प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलो हो गई थी और तब से प्याज की कीमतों में बार–बार उतार–चढ़ाव भी रहे हैं। अक्टूबर 2015 में, सरसों तेल की कीमत 150 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गई थी।

तुलनात्मक रुप से संपन्न तबकों, जो मोदी सरकार के वोटर हैं के लिए खाद्य कीमतों में ऐसे उतार–चढ़ाव केवल अस्थायी समस्याएं हो सकती हैं जो उन्हे शायद ही चुभती है, लेकिन कामकाजी जनता जो किसी तरह से जीवित रह रही हैं, के लिए हफ्तों या महीनों के लिए ऐसी उँची कीमतों का मतलब है कि उनके पास कम उपभोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार वास्तव में इन तबकों के बारे में चिंतित थी, तो ऐसे पर्याप्त तरीके हैं जिनके द्वारा इस तरह की अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा करना चुना ही नहीं है। 'बाजार सबसे अच्छी तरह जानता है' के सिद्धांत को मानने वालों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका दिया है, और गरीबों को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी है।

क्या खाद्य पदार्थों की कीमतों में ये उतार–चढ़ाव किसानों के लिए उच्च आय का परिणाम रहे, तो हम इस बारे में तर्क दे सकते थे। लेकिन तथ्य यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों के आसमान छूने के बावजूद भी, हम आए दिन रिपोर्ट पढ़ते हैं कि किसान सड़कों पर आकर अपने उत्पादन को फैंक रहे हैं क्योंकि उन्हें उपयुक्त कीमतें नहीं मिल रही हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है, क्योंकि उनके इनपुट (लागत) के तौर उपयोग की जाने वाली –उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, चारा, इत्यादि की कीमतें लगातार उँची होती रहती हैं, जबकि बाजार या सरकार द्वारा उन्हे दी गई कीमतें इन बढ़ती लागतों से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 2015–16 और 2016–17 के बीच केवल एक वर्ष में, सिंचाई पंप के लिए उपयोग की जाने वाले हाई स्पीड डीजल की कीमत 23.7% बढ़ी। इसी तरह, पशु चारा लगभग 11% बढ़ गया। मोदी के शासन में, इन सभी कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसने किसानों के लिए बड़ी तकलीफदेह स्थिति पैदा कर दी है। इस प्रकार, चाहे वह किसान के रूप में भोजन का उत्पादक हो या किसानों सहित भोजन के खरीदार उपभोक्ता हों, दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके लिए सरकार की नीतियों से बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है।

यह एक बड़ी विड़म्बना है कि एक ओर, खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादक किसानों, को उनके उत्पादनों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं; तो दूसरी तरफ, किसानों के एक बड़े तबके सहित आम जनता को खुद के उपभोग के लिए उन्हीं उत्पादों को बहुत उँची कीमतों पर बाजार से खरीदना पड़ता है। ऐसी उँची कीमतों के माध्यम से एकत्रित धन जाता कहाँ है? असली उत्पादकों, किसानों को नहीं, बल्कि कॉरपोरेट–बड़े भूस्वामी वर्ग के प्रभुत्व वाले, बड़े व्यापारियों–सूदखोरों के लुटेरे गैंग को जाता है। देश के किसानों के दो तिहाई – सीमान्त, छोटे और यहाँ तक कि कुछ मध्यम किसान भी बैंकों से संस्थागत ऋण से वंचित हैं और निजी सूदखोरों पर निर्भर हैं, जो भू–स्वामी और समृद्ध ग्रामीण ही हैं। यह वह वर्ग है जो छोटे किसानों से सस्ते दरों पर

उपज को खरीदता है और उच्च दर पर बेचता है। वे ही बाजार और उत्पादों को नियंत्रित करते हैं और सट्टा व्यापार में शामिल होते हैं, जो कीमतों में वृद्धि के लिए प्रमुख कारकों में से एक है। सरकार 'व्यवसाय करने में आसानी' सुनिश्चित करने के नाम पर सट्टा व्यापार को नियंत्रित करने से इंकार कर देती है। वह बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता को होने वाली परेशानी के बारे में चिंतित नहीं है।

स्वास्थ्य सेवायें और शिक्षा – जिसके बिना एक मर्यादित मानव अस्तित्व संभव नहीं है – जिस दिन से सरकार ने इनमें निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दिया है उसी दिन से लगातार महँगी हो रही हैं। मोदी यह डींग हांक रहे हैं कि उन्होंने कार्डियक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांटों की कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन उनकी सरकार वास्तव में ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनके कारण न सिर्फ गरीबों बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं वहन करना क्षमता से लगातार बाहर होता जा रहा हैं। जन स्वास्थय के प्रावधान के बजाय, अस्वीकार्य पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मॉडल और स्वास्थ्य बीमा में इसका विश्वास, जो कि नीति आयोग के नीति प्रस्तावों को रामबाण औषधि मानने से स्पष्ट है। यह लाखों लोगों के लिए आपदा और गरीबी बढ़ाने वाला एक नुस्खा है। पहले से ही, स्वास्थ्य देखभाल का खर्च कर्जों में दबने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और हालत लगातार खराब हो रही हैं।

कीमतों का मोर्चा इस सरकार का सबसे बड़ा विश्वासघाती तरीका रहा है जिसमें उसने अपनी बीमार मानसिकता के तहत अंर्तराष्ट्रीय तेल की कीमतों में कमी से जनता को कुछ राहत प्रदान करने के बजाय करों में भारी वृद्धि करने के अवसर के तौर पर उपयोग किया है। इस साल 7 जून तक दिल्ली में डीजल की कीमत 68.73 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि पेट्रोल प्रति लीटर 77.63 रुपये था। इन दो वस्तुओं की कीमतों का उच्चतम स्तर इस साल मई के अंत में देखा गया; तब से वे केवल कुछ पैसे से नीचे आए हैं। यह प्रवृत्ति अन्य शहरों और राज्यों में एक समान ही है, सिवाय इसके कि कीमत का स्तर अधिक है। कीमतें हमेशा से उँची क्यों हैं? सरकार का दावा है कि तेल कंपनियों को हर दिन अपनी खुद की कीमतें तय करने की इजाजत दी गयी है क्योंकि जब सरकार कीमतों का प्रबंधन कर रही थी तो वे घाटे में थी। यह बिल्कुल बकवास है। जब बीजेपी कर्नाटक जीतने के लिए बेताब थी, तो इन कंपनियों को लगभग तीन हफ्तों तक कीमतों में वृद्धि को रोके रखने के लिए राजी किया गया था। लेकिन घातक बात तो यह है कि पेट्रोल के लिए आप जितनी कीमत चुकाते हैं, दिल्ली में उसका लगभग 48% तेल कंपनियों को जाता है और डीजल के मामले में यह अनुपात थोड़ा अधिक 59% है। बाकी करों के रूप में है। सरकार के अपने आंकड़ों से पता चलता है कि कच्चे पेट्रोलियम और उत्पादों पर करों में केंद्र का हिस्सा 2014–15 में 1.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2016–17 में 2.73 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो आँकड़े उपलब्ध हैं। यह हर साल प्रति परिवार रु० 6,000/– अतिरिक्त है। केरल सरकार ने जन–समर्थक सरकार के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों पर अपने करों में कटौती की है, लेकिन केन्द्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। केंद्र की सरकारों के लिए यह जनता को लूटने का एक निरंतर स्रोत बन गया है। यही कारण है कि ईंधन की प्रशासनिक कीमत जो कीमतों को नियंत्रित कर सकती है, को खत्म कर दिया गया था। सरकार तर्क देगी कि यह बोझ केवल उन लोगों पर है जो पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं और गरीबों पर नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप डीजल खरीदते हैं या नहीं, लेकिन आप जो भी खरीदते हैं, उसके लिए आप उच्च परिवहन लागत के रूप में भुगतान करते हैं।

यहाँ तक कि जब कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई और 2014 से पहले की तुलना में आधे से भी कम तक पहुँच गया, तो बीजेपी सरकार ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को देने से इन्कार कर दिया। इसके बजाय, उसने करों को बढ़ाकर इसे बेअसर कर दिया है।

इसलिए दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें स्वतः ही बढ़ती नहीं हैं; आम जनता की कीमत पर बड़े व्यापारी–बड़े भू–स्वामी वर्ग के मुनाफे की भूख को संतुष्ट करने के लिए सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। यह नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्था और शासन में उसके सेवकों का असली चेहरा है।

कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता हैः

- खाद्य वस्तुओं में सट्टा व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सार्वभौमिक बनाकर और पीडीएस के तहत दैनिक जीवन की 14 आवश्यक वस्तुओं को लाकर
- पेट्रोल और डीजल पर करों को कम करके और आयात समानता मूल्य निर्धारण को समाप्त करके वास्तविक मूल्य के साथ–साथ पेट्रोलियम उत्पाद पर उचित वापसी के द्वारा मूल्य निर्धारण

- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर, और सरकारी संस्थानों के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने भी कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भी इसी तरह की माँग की है।
लेकिन, जनता और देश को लूटने के नवउदारवादी एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध सरकारें ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं; क्योंकि ऐसा करने से बड़े व्यापारिक घरानों और निगमों के हितों को नुकसान पहुँचेगा। उपरोक्त माँगों को हासिल करने के लिए ही 5 सितंबर को संसद के समक्ष 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' होगी।

सभी के लिए स्वास्थ्य

स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। नरेंद्र मोदीनीत वर्तमान भाजपा सरकार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है, लेकिन हमारे देश में, स्वास्थ्य सेवाऐं केवल उन लोगों के लिए हैं जो इसकी कीमत का भुगतान कर सकते हैं। आज 195 देशों में हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का स्थान काफी नीचे, अर्थात् 154$^{वां}$ है। बुनियादी स्वास्थ्य संकेतक वैश्विक औसत से काफी नीचे हैं। पूरी दुनियां में मातृ मृत्युओं का 20% और बच्चों की मौतों का 25% भारत में होती है। संक्रमणीय बीमारियों से देश में सभी मौतों का हिस्सा 53% है।
क्या यह जरूरी है कि गरीब ही हैं, जो इन मौतों के असमान रूप से बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है? क्या यह अपरिहार्य है? लाखों लोग, जिनमें अधिकतर गरीब, और विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे होते हैं, जो देश में टी.बी., दस्त, एनीमिया और कई गर्भावस्था से संबंधित कारणों से, जो रोकथाम योग्य और आसानी से इलाज योग्य बीमारियों से क्यों मरते हैं? जबकि देश में कुछ बेहतरीन डॉक्टर और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं; और जो 'चिकित्सा पर्यटन' को बढ़ावा देने की बातें करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के तंत्र को लंबे समय से उपेक्षित कर दिया गया है। यह अपेक्षित धन, बुनियादी ढाँचे और कर्मियों की कमी से पीड़ित है; प्रशासनिक असफलताओं से पीड़ित है। 2016 की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में कम से कम 5 लाख डॉक्टरों की कमी है; आवश्यक कुशल जचगी परिचरों में से केवल 74% ही काम पर हैं। स्वास्थ्य उप केंद्रों में एएनएम (सहायक नर्स व मिडवाइफ) के 18,000 पद खाली हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) स्तर पर, सर्जन, प्रसूतिविज्ञानी और स्त्री रोग विषेशज्ञ, चिकित्सक और बाल रोग विषेशज्ञों सहित 82% की कमी है। उप–केंद्रों में से कई, पीएचसी और सीएचसी में बिजली या पानी नहीं है; उनमें से अधिकांश जीर्ण–शीर्ण इमारतों में चल रहे हैं; उन तक पहुँचने के लिए उचित सड़कें भी नहीं हैं।
नतीजतन, जनता को निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है। शहरी में 70% परिवार और ग्रामीण इलाकों में 63% निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं और स्वास्थ्य पर अपनी आय के बड़े हिस्से को खर्च करते हैं। स्वास्थ्य पर व्यय का जेब पर भारी होने के कारण जनता को 'विनाशकारी स्वास्थ्य खर्च' झेलना पड़ता जो गरीबी बढ़ाने के प्रमुख कारकों में से एक है, जिसे सरकार की अपनी स्वास्थ्य नीति 2017 मानती भी है। गरीबों को इससे बाहर निकलना असंभव लगता है। नवउदारवादी नीतियों का जोर सरकार द्वारा कल्याण व्यय को कम करने पर रहता है। इसके परिणामस्वरूप सरकारें लगातार, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के नाम पर स्वास्थ्य पर खर्च और स्वास्थ्य देखभाल का निजीकरण करती आ रही हैं। नवउदारवाद के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, मोदीनीत भाजपा सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर रही है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तेजी से पहुँच के बाहर जा रही है।
नवउदारवाद के तहत, स्वास्थ्य देखभाल को अब एक आवश्यक सेवा, देश के नागरिकों का मूल अधिकार माना नहीं जा रहा है। इसके बजाय, इसे 'उद्योग' के रूप में माना जा रहा है। मोदी नीत भाजपा सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 'स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के मजबूती से उभर रहा है, जिसके दो अंकों की बढ़त का अनुमान है' और नीतिगत दिशा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ निजी स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र के विकास को संरक्षित करना है।' यह और कुछ भी नहीं है, बल्कि सरकार की सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की अपनी मूल जिम्मेदारी से वापसी है। जो लोग खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं वे निजी अस्पतालों में जा सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, पीड़ित या मर सकते हैं।
'मोदी केयर' के रूप में प्रचारित आयुष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल का निजीकरण करने और पूरे स्वास्थ्य देखभाल को बीमा संचालित प्रणाली में बदलने की योजनाऐं हैं।

भाजपा सरकार ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की दवा निर्माण कंपनियों के निजीकरण या पूरी बिक्री की घोषणा की है। आवश्यक दवाएं और निदान खरीदने के लिए आवंटित 1200 करोड़ रुपये निजी दवा कंपनियों के पास जाएंगे।

राजस्थान में भाजपा सरकार ने पहले ही 42 ग्रामीण और 43 शहरी पीएचसी का निजीकरण किया है और 50 और ग्रामीण पीएचसी के लिए निविदाएं माँगी गयी हैं। इस पीपीपी मॉडल के तहत, राज्य सरकार प्रति पीएचसी 30 लाख रुपये का भुगतान करेगी और निजी इकाई प्रबंधन और पीएचसी के सभी संचालन को संभालेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने पीपीपी मोड के तहत भिलाई स्टील सिटी में 2, और राज्य की राजधानी रायपुर में 4 सीएचसी सहित 9 सीएचसी चलाने का फैसला किया है। फिर, उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पीपीपी मोड में 1000 अस्पतालों की स्थापना करेगी। इसने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही विदेश परामर्श फर्म अर्न्स्ट एंड यंग से कहा है। पीपीपी मॉडल पर विचार किया गया है कि सरकार सीएचसी क्षेत्र में 3 एकड़ भूमि प्रदान करेगी और निजी संस्था स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय को चलाने के लिए अस्पताल का निर्माण करेगी। मौजूदा अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए, डॉक्टरों को निजी फर्मों द्वारा ठेके के आधार पर भर्ती किया जाएगा। केंद्र में सत्ता संभालने के तुरंत बाद भाजपा सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग ने गैर संक्रमणीय बीमारियों के लिए जिला अस्पताल में पीपीपी मॉडल के लिए दिशानिर्देश जारी किए, यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकारें, अपने निजी भागीदारों का भुगतान करने में चूक करती है तो उन्हें दंड का भुगतान करना पडेगा।

सरकार ने 2017 के बजट में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लोगों को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना' के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये के बीमा कवरेज प्रदान करने की भव्य घोषणा की है। यह पिछली 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' (आरएसबीवाई), वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को भी सम्मिलित कर लेगा। आरएसबीवाई समेत बीमा आधारित स्वास्थ्य देखभाल का अनुभव दर्शाता है कि इन योजनाओं से गरीब जनता नहीं केवल, बड़ी बीमा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों ही वास्तव में लाभान्वित हुए हैं। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' का अनुभव भी दिखाता है कि बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के माध्यम से भारी मुनाफा कमाया, जबकि किसानों की आत्महत्याऐं जारी हैं क्योंकि फसल के नुकसान के लिए उनके दावों को स्वीकृत ही नहीं किया गया।

इस प्रकार सरकार का पूरा उद्देश्य स्वास्थ्य, बीमा और दवा निर्माण में – कॉरपोरेटस् की 'त्रिमूर्ती' को लाभ पहुँचाना है। एनएचपीएस इसी मकसद के वास्ते है। यह सरकार जो बात–बेबात 'राष्ट्रवाद' का गाना गाती है वह एफडीआई रास्ते से स्वास्थ्य देखभाल में बहुराष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा दे रही है। कॉरपोरेट अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में 483 करोड़ डालर एफडीआई का निवेश किया गया है। सरकार ने स्वचालित मार्ग के माध्यम से, बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई और फार्मास्यूटिकल्स में नए उद्यमों में 100% एफडीआई और स्वचालित मार्ग के माध्यम से अधिग्रहण के मामले में 74% तक की अनुमति दे दी है।

इन सबके बावजूद, बजट में स्वास्थ्य के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 2.4% से घटकर इस वर्ष 2.1% हो गया है। यह कम होकर जीडीपी का 1.1%, जो दुनियां के सबसे निचले दस में से एक हो गया है।

नवउदारवाद के प्रति वचनबद्ध भाजपानीत सरकार की कॉरपोरेट हितों की सेवा के प्रति उत्सुकता, यहीं पर नहीं रुक रही है। इसने अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसे खुदरा विक्रेताओं को लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 7.5 लाख दवाओं के खुदरा विक्रेताओं की जगह, दवा आपूर्ति बाजार में प्रवेश करने की इजाजत दी है।

भाजपा सरकार ने चिकित्सा शिक्षा भी नहीं छोड़ी। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया को हटाकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। एनएमसी की कल्पना, मेडिकल कॉलेज शुरू करने के नियमों को हटाने और स्व–अनुमोदन मार्ग की अनुमति देने के लिए की गई है। यह निजी चिकित्सा कॉलेजों में प्रबंधन कोटा को वर्तमान 15% से 60% तक बढ़ाएगा; फीस प्रबंधन के विवेक पर छोड दी जाऐगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और एससी/एसटी के लिए सीटों में कटौती हो जाऐगी।

सरकार दवाइयों की अत्यधिक कीमतों के माध्यम से जनता को निचोड़ने के लिए देशी–विदेशी बड़ी दवा कंपनियों को खुला अवसर दे रही है। यह भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने वाली दवा कंपनियों को, दण्डित करने के वास्ते विशिष्ट कानून में शामिल करके रिश्वत देने वाली दवा कंपनियों को छूने के लिए भी तैयार नहीं है।

दवाओं की बढ़ती कीमतें

प्रथम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 1979 दवाइयों की विनिर्माण लागत पर आधारित था और सभी दवाओं को कीमत नियंत्रण में लाया था। बाद के डीपीसीओ द्वारा दवाओं का मूल्य नियंत्रण धीरे–धीरे कमजोर होता गया। नवउदारवाद की शुरुआत

के बाद 1995 में, आवश्यक दवाओं को छोड़कर सभी दवाओं को डीपीसीओ द्वारा मूल्य नियंत्रण से हटा दिया गया था, तब थोक आवश्यक दवाओं की सूची 140 से घटाकर 76 तक कर दी गई थी; और चिन्हित किया, यानी आवश्यक दवाओं की विनिर्माण लागत पर दवा की कीमत में अतिरिक्त अधिकतम स्वीकार्य जोड़, 100% तक बढ़ा दिया गया था। नई डीपीसीओ 2013 ने न्यू नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंसियल मेडीसिन्स (एनएलईएम) में 348 दवाओं को छोड़कर सभी दवाओं को मूल्य नियंत्रण से हटा दिया। ध्यान दें, यह सूची 'दवाओं' की है, यानी अंतिम उत्पाद, जिनमें से हजारों को, 'थोक दवाओं' के विभिन्न संयोजनों के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, न कि अकेले 'थोक दवाऐं'; इन दवाइयों की कीमतें उत्पादन की लागत पर आधारित नहीं बल्कि बाजार की कीमतों पर आधारित हैं। इसने दवा कंपनियों को हर साल सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी है। नतीजतन, दवा कंपनियाँ उत्पादन की लागत से 1000% तक की कीमतों पर दवाएं बेचकर भारी मुनाफा कमा रही हैं।

जीएसटी के तहत दवाओं पर टैक्स का बोझ

भाजपा सरकार की जीएसटी संरचना के कारण भी दवाइयों की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने 5% जीएसटी चार्ज करने वाली आवश्यक दवाइयों की सूची से 376 आवश्यक दवाओं में से अधिकांश को छोड़कर और एनएलईएम में अधिकांश आवश्यक दवाओं पर 12% और 18% लगाए जाने की धोखाधड़ी का प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप सभी आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

आज, हमारे पास सभी संसाधन हैं जो सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे पास तकनीकी रूप से योग्य और कुशल डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरा मेडिकल कर्मी हैं; हमारे पास अनेक प्रशिक्षण योग्य संसाधन हैं और हमारे पास युवा लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें उचित प्रशिक्षिण देकर हमारी पूरी जनता को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सकती है। हमारे पास वित्तीय संसाधन हैं। पिछले दशक के दौरान सरकारें बड़े देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् को प्रति वर्ष 10–12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की करों में और अन्य रियायतें देती आ रही हैं। उन्हें बैंकों में जमा जनता के बचत के पैसे की ठगी करने और देश से भागने की इजाजत दी है।

यदि इन संसाधनों का उचित उपयोग कॉरपोरेटस् के मुनाफों के बजाय जनता के हित में किया जाए तो हमारे देश के सभी लोगों को जीवन, स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकता प्रदान की जा सकती है। नीति की दिशा बदलना जरूरी है।

संसद पर 5 सितंबर 2018 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' इसी माँग के लिए है। सरकार से जोरदार तरीके से माँग है:

●सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करें; ● स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निजीकरण को रोकें; ●स्वास्थ्य, चिकित्सा और मातृत्व सेवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत और विस्तारित करें; ● स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाया जाए; ●सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को पुनर्जीवित करें; ●निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का विनियमन करें; ●लागत आधारित मूल्य निर्धारण फॉर्मूला अपनाकर आवश्यक दवाओं की कीमतों का नियंत्रण करें।

रोजगार

नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार पेश करके भाजपा सत्ता में आई क्योंकि उनके किए गए प्रमुख वायदों में से एक यह भी था कि वह हर साल 1 करोड़ नौकरियां सुनिश्चित करेंगे। पिछले यूपीए शासन के तहत 10 वर्षों तक रोजगार विहीन विकास झेल रही जनता ने इसका दिल से स्वागत किया था। हालांकि, चार साल बाद यह पता चला है कि मोदी अपने वायदे को सच साबित करने में असफल हुए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने भी उसी तरह की नीतियों को अपनाया है जिन्हे पिछली सरकारें अपनाती रही हैं।

वास्तव में, हालात और भी बदतर हुए हैं क्योंकि नौकरियां समाप्त हो रही हैं। अब यह रोजगार समाप्त समाप्त करने वाली वृद्धि है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के मुताबिक मोदी के पहले दो वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरियां खत्म हो गईं। देश में कुल कामकाजी की कुल संख्या में 2014–15 के दौरान 7.7 लाख और 2015–16 में 3.8 लाख की गिरावट आई। तब हालात बद से बदतर हो गऐ हैं। 15 वर्षों और उससे ऊपर के दौरान, देश के सभी लोगों में से 43% 2016 में काम कर रहे थे। सी. एम.आई.ई. के अनुसार 2018 तक, यह हिस्सा गिरकर 40% तक रह गया था। इसका मतलब है कि 1.43 करोड़ कामकाजी लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। 2016 लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के रोजगार में शिथिलता जारी रही है और कहा गया है कि 15 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में सिर्फ 22% महिलाऐं ही काम कर रही थीं। यह दुनियां में सबसे कम है।

अप्रैल 2016 से लेबर ब्यूरो द्वारा किए गए आठ प्रमुख उद्योगों के एक त्रैमासिक सर्वेक्षण से पता चला है कि अक्टूबर 2017 तक 18 महीनों में केवल 5.56 लाख रोजगार जुड़े हैं। जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर का मात्र 1.8% या प्रति वर्ष लगभग 4 लाख प्रतिवर्ष

है। यदि अन्य क्षेत्रों में नौकरियां समाप्त हो रही हैं तो यह परिदृश्य और भी खराब हो गया है। इस बीच, सी.एम.आई.ई. अनुमानों के मुताबिक बेरोजगारी 5% तक पहुंच गई है। यह लगभग 2 करोड़ व्यक्ति हैं। इसके अलावा, 2016 में सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 35% श्रमशक्ति सालाना काम नहीं ढूंढ पा रही हैं या बहुत ही कम भुगतान पर ठेके पर काम करने के लिए मजबूर हैं। यह लगभग 13 करोड़ लोग हैं।

यही कारण है कि हम रेलवे में 1 लाख रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ या उत्तर प्रदेश में 368 नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 23 लाख या हरियाणा में एक अदालत में केवल नौ पदों के लिए आवेदन करने वाले 18,000 से अधिक या राजस्थान राज्य सरकार के सचिवालय में 18 पदों के लिए 12,000 लोगों के आवेदन करने की चौंकाने वाली रिपोर्ट सुनते आ रहे हैं।

रोजगार का खात्मा करने वाली सरकार

भारत में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र कुल रोजगार का केवल एक छोटा हिस्सा ही सीधे पैदा करते हैं। लेकिन सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगातार गिरावट से पता चलता है कि मोदी सरकार नौकरियों की सृजनकर्ता के बजाय विनाशक है।

2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों (मंत्रालयों, रेलवे, डाक विभाग, पुलिस इत्यादि) में नौकरियाँ हर साल लगातार घट रही हैं। उस वर्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 33.28 लाख थी, केंद्रीय बजट दस्तावेजों के मुताबिक, जो 2015 में घटकर 33.06 लाख, 2016 में 32.85 लाख और 2017 में 32.53 लाख हो गई। इस प्रकार, 2017 तक, लगभग 75,000 सरकारी नौकरियां गायब हो गईं और प्रवृत्ति अभी भी जारी है।

इसके अलावा, 330 सेंट्रल पब्लिक–सेक्टर एंटरप्राइजेज (सी.पी.एस.ई.) भी हैं जिनके द्वारा 2014 में मुख्य रूप से खनन, इस्पात, rs] Hkkjh vkSe/; e bathfu; fjax vkSmoZd {ks=ksa esa 16-91 yk[k ykxksa ds jkstxkj fn; kgqvk FkkA 2017 esa g ?kVdj 15-24 yk[k jg x; kgSvFkZ~rhu o"kZksa esa 1 yk[k 67 gtkj ukSfj;ksa dk kuqdl ku gqvk gSA xS&dk;Zkyd Jsh esa cl scMh fxjkoV vkoZ gSt gkjdbky et njw?kVdj 1-11 yk[k vkSvdbky 77]000 rd uhpsvkx, Al jdkjh vkMhsa dseqkfcd bUgsavk'kd : i lsdSqy vkSBsdk et njwsa ds kjkçfrLFkkfir fd; kx; kFkk ft udhlaj; k 2014 esa 3-4 yk[k lsc<dj 2017 esa 3-79 yk[k gksxbZgSA bl çdkj] lhih,l-bZ esa dekSsk vfu; fer jkstxkj] nsk dk seksehl jdkj dsmi gkjkesa s,d jgk gS lkoZfud {ks= dsscSkesaukSfj;k “kqvkr 2014 esa 7-25 yk[k lsc<dj 2015 esa 9-47 yk[k gksx; hFkk ayfdu fQj ekSehus f'kdtakdl kvkSvkjchvkoZdsvkdMksa dseqkfcd vxysnksa"kZ esacSkesa djhc 35]000 ukSfj;k ?kV x; h] vkSc SkesaesaduqlukSfj;k 9-12 yk[k jg x; hA vf/kdkakukSfj;ksa dk kuqdl ku Dy;Sd ly vkSv/kuLFkk dezZkfj;ksa dh Jsk,esa gSA

उद्योग और निर्माण क्षेत्र का संकट

उद्योग और निर्माण क्षेत्र नौकरियों के नुकसान की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। 21वीं शताब्दी के पहले दशक में, निर्माण क्षेत्र हर साल 10% से अधिक की दर से बढ़ रहा था। बीजेपी सरकार के चार वर्षों में, औसत प्रतिवर्ष 4% से कम है। नतीजतन, इस क्षेत्र में नौकरियां, जो परेशान खेत मजदूरों द्वारा ली गयी थी, नाटकीय रूप से घट गयी हैं।

इस दशक में औद्योगिक विकास खराब रहा है और बीजेपी सरकार इसे बदलने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं रही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) जो औद्योगिक उत्पादन वृद्धि को मापता है, ऊपर–नीचे हुआ है, 2014–15 में 3.8% से घटकर 2015–16 में 2.8% हो गया, और 2017–18 में औसतन 4.5% तक पहुंच गया। वास्तव में, 2011–12 में 7.36 लाख की वृद्धि के मुकाबले मौजूदा सरकार के पहले दो वर्षों में कुल फैक्ट्री रोजगार (एएसआई) में 7.61 लाख की वृद्धि हुई।

नोटबन्दी और जीएसटी ने अगले दो वर्षों में अर्थव्यवस्था को और बाधित करने के साथ, समस्या केवल खराब ही हुई है। इन्होंने असंगठित विनिर्माण को ही अधिक प्रभावित किया है, जो पहले से ही खराब स्थिति में था और पहले भी नौकरियाँ पैदा करने में सक्षम नहीं था।

इसलिए यह षायद ही आश्चर्य की बात हो कि स्किल इण्डिया (प्रधान मंत्री कौषल विकास योजना) जैसी सरकारी योजनाऐं बुरी तरह विफल रही हैं। कार्यक्रम के तहत तीन वर्षों में प्रशिक्षित 41.3 लाख लोगों में से सिर्फ 6.15 लाख या 15% को ही नौकरियाँ मिली हैं क्योंकि कोई नौकरियाँ उपलब्ध ही नहीं हैं। 10.38 करोड़ लोगों को 4.6 लाख करोड़ मुद्रा ऋण देने के आंकड़ों के आधार

पर सरकार का दावा है कि लोग स्व–नियोजित बन रहे हैं। जो सिर्फ रु० 44,000 प्रति व्यक्ति है, जो संभवतः फुटपाथ पर पकोडा बेचने की एक दुकान के लिए ही पर्याप्त है, जैसा मोदी ने स्वयं सुझाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।

गहराता कृषि संकटः रोजगार के संकट का केन्द्र

भारत में, परंपरागत रूप से स्व–नियोजित और मजदूरी–कार्य दोनों ही के लिहाज से, खेती–किसानी रोजगार का एक प्रमुख स्रोत रहा है। हालांकि, अधिकाधिक किसान भूमि से बेदखल हो रहे हैं और कृषि में बढ़ती अस्थिरता के साथ, अधिकाधिक लोग खेती से बाहर निकल रहे हैं और कहीं अन्यत्र काम तलाशने के लिए मजबूर हो रहे है। भाजपा ने कृषि आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र में रोजगार क्षमता बढ़ाने का वायदा किया था। हकीकत में, किसानों की आय में कमी आई है, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी स्थिर हो रही है और नौकरियों की कमी की हालत में अधिक लोगों को बेरोजगार की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

गहराते कृषि संकट का न केवल कृषि में रोजगार पर बल्कि कृषि के बाहर भी प्रभाव पड़ता है। चूंकि नौकरी तलाशने वालों की संख्या बढ़ जाती है, नियोक्ता कम मजदूरी पर रखने में सक्षम हो जाते हैं।

कम मजदूरी और कृषि संकट का मतलब है कि कामकाजी लोग बहुत ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं – इस प्रकार अर्थव्यवस्था में माँग निराषाजनक होती जो बदले में रोजगार की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। बेरोजगारी मजदूरी को कम करती है और खरीद क्षमता को कम करती है। इससे उत्पादन में गिरावट आती है। तो अधिक नौकरियाँ समाप्त हो जाती हैं। यह एक दुश्चक्र है जिसमें भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को धकेल दिया है!

सरकार ने सोचा कि वह भारत में मेक इन इण्डिया जैसी नीतियों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाकर और निर्यातों द्वारा नौकरियों को बढ़ावा दे सकेगी। हालांकि, गैर–तेल उत्पादों के निर्यात सरकार के 4 वर्षों में पूरी तरह से स्थिर रहे हैं और उत्पादन और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा नहीं दे सके हैं। दूसरी ओर, घरेलू उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला आयात, कुछ हद तक बढ़ गया है, जो स्थानीय उद्योग को नष्ट कर रहा है और अधिक लोगों को बेरोजगार बना रहा है।

रोजगार का संकट क्यों रहता है?

मोदी सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों और उनके मुनाफे के विकास को बढ़ावा देने को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम मानती है। इसलिए यह सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं करना चाहती, बल्कि धीरे–धीरे लेकिन निश्चित तौर पर इसे मार डालना चाहती है। इसने अमीरों और कॉरपोरेट क्षेत्र पर टैक्स नहीं लगाया है और सार्वजनिक व्यय का विस्तार नहीं किया है। इसके बजाए उसे उम्मीद है कि निजी क्षेत्र वेतन के रोजगार पैदा करेगा और जो लोग इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं उन्हें अपने लिए स्व–रोजगार खोज लेना होगा।

हालांकि, चूंकि सरकार पर्याप्त खर्च करने को तैयार नहीं है, इसलिए वह माँग में वृद्धि करने में सक्षम भी नहीं हो पायी है।

इसके बजाए, सरकार की नीतियों सेः

ए) कृषि संकट में वृद्धि हुई है; तथा

बी) स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार की वृद्धि को रोक दिया क्योंकि यहाँ भी वह निजी मुनाफाखोरी को ही बढ़ावा देना चाहती है। जो कुछ भी उसने खर्च किया है, उससे उसने निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों या मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे विनाशकारी योजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र की जेबों को भरने के लिए बीमा प्रीमियम जैसे मदों पर किए हैं। लाभकारी रोजगार के दृष्टिकोण से, पिछले चार वर्श एक अप्रत्याशित आपदा का दौर रहा है।

5 सितंबर को संसद पर 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' उन नीतियों के खिलाफ है जो रोजगार विहीन विकास के दुष्चक्र की ओर ले जाती हैं, जनता के बड़े तबके की खरीद क्षमता में कमी व उत्पादन में कमी लाती हैं और अधिक नौकरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। मेहनतकश वर्गों के विशाल बहुमत की कीमत पर केवल बड़े देशी–विदेषी कॉरपोरेटों को लाभान्वित करने वाली इन विनाशकारी

नीतियों को उलटने की माँग करने के लिए है। यह उन नीतियों की माँग करती है जो काम करने के लिए तैयार खासकर हमारे युवाओं सहित सभी के लिए सभ्य रोजगार पैदा करे।

न्यूनतम वेतन

- **न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपये हो!**
- **योजना मजदूरों समेत सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दो!**
- **न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ो!**

कीमतों के लगातार बढ़ते जाने के कारण समूचे देश में, सभी सैक्टरों में मजदूरों के परिवारों के बजट संकुचित हो रहे हैं। अपने संघर्षो के बल पर जो थोड़ी –बहुत वृद्धि वे हासिल करते हैं, मूल्य वृद्धि उसे बराबर कर देती है। वास्तविकता में तो इसका अर्थ है कि आज मजदूर पहले की तुलना में उतने ही पैसे में कम मात्रा में सामान खरीद पाता है।

वैधानिक न्यूनतम वेतन नहीं पाने वाले लाखों ठेका व कैजुअल मजदूरों के लिए तो स्थिति और भी विकट हो गयी है। उनका वेतन तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी जुड़ा हुआ नहीं है। कई स्थानों पर तो मजदूर इतने बदहवाश हैं कि वे दो–दो रोजगार करने पर बाध्य है। वे, दो जून की रोटी जुटाने के लिए 10–12 घंटे बिना किसी वैधानिक ओवरटाइम की डबल वेज के सामान्य वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं। ऐसे कड़े शोषण, ने देश में बहुत से मजदूरों के लिए आठ घंटे के कार्य दिवस को हवा में उड़ा दिया है।

दूसरी ओर, देसी–विदेशी बड़े कारपोरेट घराने लगातार मुनाफे बटोर रहे हैं। वे मजदूरों की संख्या में कमी कर, उनका वर्कलोड बढ़ाकर वेतन को कम या जाम करके तथा ठेकाकरण के माध्यम से श्रम की 'लागत' को कम कर अपने मुनाफों को बनाये रखना चाहते हैं। सरकार मजदूरों को राहत देने की बजाय अंबानी अडानियों, टाटाओं व बिरलाओं आदि जैसे एकाधिकारी व कारपोरेट घरानों के इशारों पर नाच रही है। वह कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी आइ आइ), फिक्की व एसोचेम जैसी औद्योगिक संस्थानों से निर्देश प्राप्त करती हैं और मजदूरों के प्रतिनिधियों से मिलने तक के लिए तैयार नहीं होती।

वर्ष 2016 से संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन रुपये 18000 प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन की मॉग कर रहा है। सभी ट्रेड यूनियनें न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता सूचकांक से जोड़े जाने की भी मॉग कर रही हैं।

यह कैसे न्यायोचित है? भाजपा द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियुक्त सातवें वेतन आयोग ने 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, यह 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन तथा रप्ताकोस ब्रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देश के आधार पर सर्वसम्मति से पारित फामूर्ले पर आधारित है, जिसे 2012 में 44वें श्रम सम्मेलन तथा 2015 में 46वें आइ एल सी द्वारा एक बार फिर से दोहराया गया है।

न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित फार्मूला इस प्रकार है :

1) तीन इकाईयों (2 वयस्कों व 2 बच्चों वाले मजदूर के एक परिवार के लिए प्रतिव्यक्ति कम से कम 2700 कैलरीज प्रदान करने वाला भोजन

2) प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ति कम से कम 18 गज कपड़ा।

3) निम्न आय वर्ग के लिए सरकारी औद्योगिक आवास योजना में लिये जाने वाले किराये के आधार पर आवास का प्रावधान।

4) ईधन, बिजली, मिले –जुले खर्चों के मद में कुल न्यनतम वेतन का 20 प्रतिशत ।

5) सुप्रीम कोर्ट के फैसले (1992) में, शिक्षा, चिकित्सकीय खर्च, मनोरंजन व वष्द्धावस्था तथा शादी के खर्च के मद में अतिरिक्त 25 प्रतिशत का प्रावधान भी न्यूनतम वेतन के निर्धारण में किया जाना है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों व मजदूरों के महासंघ ने आई एल सी की सिफारिशों व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरुप 2015 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सातवें वेतन आयोग के द्वारा तय न्यूनतम वेतन को चुनौती देते हुए कहा है कि इसे 26,000 रुपये प्रतिमाह होना चाहिये।

तथापि, भाजपा सरकार ने सावतें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूर कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन ही देने का निर्णय किया है।

न्यूनतम वेतन के संदर्भ में आइ एल सी की सिफारिशें व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सभी मजदूरों व कर्मचारियों के लिए एक जैसे हैं। मूल्य भी सभी के लिए समान हैं। वास्तव में, सभी आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं, विशेषरुप से भोजन, कपड़ा, परिवहन व दवाओं के दाम 2015 के बाद से काफी बढ़ गये हैं।

इसलिए, 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन की मॉग पूरी तरह से न्यायोचित है। सरकार को तुरन्त ही इस मांग को मान लेना चाहिये।

लेकिन सरकार क्या कर रही है?

मजदूरों की जायज माँग को स्वीकार करने तथा तदनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम को संशोधित करने के बजाय, भाजपा सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम,वेतन भुगतान अधिनियम,बोनस अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम को घालमेल कर वेतन संहिता विधेयक (कोड ऑन वेज्ज बिल) लोक सभा में पेश किया है। दरअसल,यह श्रम कानूनों के दायरे से वेतन निर्धारण को पूरी तरह से अलग कर देने की एक कोशिश है।

यह वेतन संहिता विधेयक, न्यूनतम वेतन के निर्धारण को सरकार– केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की मरजी पर छोड़ देता है। इसमें एक न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। लेकिन इस बोर्ड की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

वेतन संहिता विधेयक, न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए आइ एल सी की सर्वसम्मत सिफारिशों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। इसमें, यदि हड़ताल अवैध घोषित हो जाती है तो एक दिन की हड़ताल के लिए आठ दिन का वेतन काट लिए जाने के अत्याचारी प्रावधान पर जोर दिया गया है। यदि श्रम कानूनों को संशोधित करने वाला एक अन्य अत्याचारी मसविदा– औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक (इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल) अधिनियम बन जाता है तो लगभग सभी हड़तालों को 'गैरकानूनी' घोषित किया जा सकता है।

वेतन के नियमित भुगतान सहित न्यूनतम वेतन को लागू कराने के संबंध में प्रावधानों को इतना कमजोर कर दिया गया है कि अन्य सभी प्रावधान निरर्थक हो जाते हैं। पूर्ववर्ती वेतन भुगतान अधिनियम न्यूनतम वेतन अधिनियम, समान पराश्रमिक अधिनियम, तथा बोनस भुगतान अधिनियम में जो भी शक्ति थी उसे इतना कमजोर कर दिया गया है कि कानून पर अमल का मामला ही समाप्त हो जायेगा। नियोक्ता इतने ताकतवर हो जायेंगे की अपनी मरजी से कानून का उल्लंघन कर सकेंगे।

इस विशेष सवाल, कि न्यूनतम वेतन निर्धारण फार्मूले के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मत सिफारिशो को वेतन संहिता विधेयक में क्यों शामिल नहीं किया गया पर मोदीनीत भाजपा सरकार के श्रम मंत्रालय का उत्तर तो और भी शर्मनाक है। उसमें कहा गया है कि ऐसा 'लचीलापन, अनुकूलन प्रदान करने तथा विभिन्न घटकों की गतिशील जरुरतों को पूरा करने के लिए किया गया है'। क्या यह समझने के लिए कि सरकार किसके हितों की सेवा करने की मंशा रखती है, नियोक्ताओं के हितों की या मजदूरों के, किसी और साक्ष्य की आवश्यकता है?

देशी–विदेशी बड़े कारपोरेटों की मदद करने वाली नीतियां बनाने, मजदूरों व मेहनतकश लोगों के शोषण को बढ़ाकर धन–संपदा बटोरना उस नवउदारवादी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है जिस पर पिछले 25 वर्षों में आयी सरकारों ने अमल किया है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस विनाशकारी नीति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में महारत हासिल की है।

5 सितम्बर,2018 को संसद के सामने होने वाली मजदूर किसान रैली जो मॉग करने के लिए होने जा रही है वह है :

सभी मजदूरों को न्यनतम वेतन दो वे चाहे जहाँ भी कार्य करते हों– कारखानों में, दफ्तरों में, खदानों में खेत–खलिहानों में या जंगलों में। यह रैली बड़े कारपोरेट का पेट भरने के लिए मेहनतकश जनता को भूखों मारने की इन नीतियों को बदलने की माँग करने के लिए होगी।

सभी मजदूरों के लिए सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा

हम सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात् सभी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, चाहे जहाँ भी वे काम कर रहे हों। आज मजदूरों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में ही केवल भविष्य निधि, ईएसआई, चिकित्सा लाभ, मातृत्व लाभ, दुर्घटना मुआवजे, ग्रैच्युइटी, पेंशन इत्यादि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में आते हैं। स्वयं सरकारों द्वारा

प्रोत्साहित, लागू करने वाली ढीली–ढाली मशीनरी को देखते हुए, संगठित क्षेत्र में मजदूरों का पचास प्रतिशत हिस्सा, खासतौर से ठेका मजदूर भी अपने वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हैं।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान देने के बावजूद, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता है। बीड़ी श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, खान कामगारों, सिने कर्मियों जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कुछ हिस्से निश्चित रूप से कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार हैं। लेकिन केंद्रीय स्तर या राज्यों में इन योजनाओं के लिए प्रभावी लागू करने वाली मशीनरी के पूरी तरह से नदारद होने के कारण इन मजदूरों में से 30% भी शामिल नहीं हैं।

नियोक्ता के लिए 'व्यवसाय करने में आसानी' सुनिश्चित करना नवउदारवादी नीतियों के तहत प्राथमिकता बन गया है। वर्तमान मोदी नीत भाजपा सरकार के लिए, यह सरकारी नीति का निर्धारण कारक प्रतीत होता है। श्रम कानूनों को लागू होना, ऐसी नीति का पहला शिकार है। पिछले डेढ़ दशक के दौरान, निर्माण मजदूरों के कल्याण योजना के लिए सेस के माध्यम से एकत्रित धन का शायद 25% ही निर्माण मजदूरों को लाभ प्रदान करने पर खर्च किया गया है। बीड़ी श्रमिकों और अन्य से संबंधित स्थिति भी बहुत अलग नहीं है।

भाजपा नीत सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से बहुत ही उँचे स्वर में ऐलान किया है कि सामाजिक सुरक्षा पर उसका कोड रिक्शा चालकों और घरेलू श्रमिकों सहित पूरी श्रमशक्ति पर लागू होने जा रहा है।

लेकिन कवर क्या है? कोई उत्तर नहीं है। कोई विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजना प्रस्तावित नहीं है।

वास्तव में कौन कवर किया जाएगा? मजदूरों को कवर करने के लिए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करना होगा। श्रमिकों की सीमारेखा की संख्या सरकार द्वारा तय की जाएगी। सीमारेखा का स्तर क्या होगा? इस भाजपा सरकार ने कारखाना अधिनियम के तहत मजदूरों की संख्या को 40 तक बढ़ाया है। इसका मतलब है कि अभी तक कारखाना अधिनियम के तहत आने वाले कारखानों में से 72% से अधिक कारखाने अब बाहर निकल जाऐंगे। क्या 40 से कम मजदूरों वाले कारखाने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत पंजीकरण के लिए योग्य होंगे? क्या इन प्रतिष्ठानों के मजदूर इस संहिता के तहत जो भी लाभ प्रदान किए जाएंगे, उनके लिए पात्र होंगे? कोई जवाब नहीं।

यह स्पष्ट है कि सरकार मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के वास्ते एक भी पैसा नहीं दे रही है। (विज्ञापनों पर कुछ हजारों करोड़ रुपए खर्च करने, अपने भविष्य को सुरक्षित करने और कॉरपोरेट मीडिया के मालिकों को लाभ पहुंचाने के अलावा) असंगठित क्षेत्र मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अपनी मजदूरी का 12.5% की दर से योगदान देना होगा। यदि नियोक्ता पहचानने योग्य नहीं हैं, तो मजदूरों को स्व–नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें अपनी कमाई का 20% योगदान देना होगा।

15 मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानून – (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियमय (2) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, (3) कर्मचारी क्षतिपूर्ती अधिनियम (4) प्रसूति लाभ अधिनियम (5) ग्रेच्युइटी अधिनियम का भुगतान (6) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (7) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम (8) बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम (9) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम (10) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम (11) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि अधिनियमय (12) मीका खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम (13) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम (14) सिने श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम और (15) सिने श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, आदि सामाजिक सुरक्षा पर इस संहिता में समाहित हैं।

ईपीएफ, ईएसआई, सीएमपीएफ, बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोश जैसे मौजूदा केंद्रीय फंडों के साथ पूरा फंड, जो लगभग 12 लाख करोड़ रुपये है, साथ ही असंगठित मजदूरों और स्व–नियोजित मजदूरों से एकत्र बड़ी राशि को मिलाकर सारे फण्ड को, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद के निपटान में रखा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा। लेकिन यह संरचना की दृष्टि से त्रिपक्षीय नहीं होगा। यह जानबूझकर ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करने के लिए है। इसके बाद वित्त पूंजी की लॉबी को संतुष्ट करने के लिए शेयर बाजार में सट्टेबाजी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

लेकिन कानूनों के अनुसार 15 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निहित पूरे फंड को कब्जाते समय, सामाजिक सुरक्षा कोड ने सामाजिक सुरक्षा लाभ पर कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया है जो मजदूरों को दिया जाएगा। संसद द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोड पर

कानून पारित होने के बाद, सरकार, नियमों के माध्यम से नौकरशाहों के द्वारा तय करने के लिए छोड़ सकती है। लेकिन पूरी कवायद का शुद्ध परिणाम यह होगा कि संबंधित ईपीएफ, ईएसआई, निर्माण श्रमिक कल्याण योजना, बीड़ी श्रमिक कल्याण योजना के तहत संगठनों के माध्यम से वितरित होने वाले गारंटीशुदा सामाजिक सुरक्षा लाभ, समाप्त और ध्वस्त हो जाऐंगे। सरकार द्वारा प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता, इस प्रस्तावित संहिता के तहत उन सभी लाभों की निरंतरता सुनिश्चित नहीं करता है – कपट और धोखाधड़ी की अनूठी कवायद है!

क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता एक सामाजिक सुरक्षा या स्पष्ट धोखाधड़ी है?

याद रहे, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने 2009 में असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया था। उस अधिनियम के तहत कोई नया सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं बनाया गया था; न तो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान और ना ही वर्तमान भाजपा नीत मोदी सरकार के नेतृत्व ने किया। इस अधिनियम के तहत, न तो यूपीए सरकार और ना ही वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया था। केवल कुछ पहले से ही मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उनमें से अधिकतर बीपीएल जनता के लिए हैं, असंगठित मजदूरों के लिए लागू की गई थीं। वर्तमान सरकार ने अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड भी पूरी तरह से गैर क्रियाशील बनाया है। कुछ पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया और नए नामों के साथ चालू किया गया है।
सामाजिक कल्याण व्यय को कम करना और बड़े कॉरपोरेटस्, बड़े व्यापारिक घरानों और वित्तीय पूँजी को लाड़–प्यार करना, नवउदारवादी नीतियों की पहचान है। और मोदी नीत यह भाजपा सरकार अपने कॉरपोरेट आकाओं की सेवा के लिए जनता को धोखा देने के लिए छल–कपट और धोखाधड़ी के किसी भी स्तर पर उतर सकती है। सोषल सिक्योरिटी कोड उस दिशा में एक आदर्श रूप से संदिग्ध कारगुजारी है।

वास्तव में क्या आवश्यक है?

अगर सरकार सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में वास्तव में गंभीर है, तो उसे यह करना होगाः

- संबंधित कानूनों के तहत मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ बनाना; उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाएं

- संबंधित कानूनों के तहत पात्र सभी मजदूरों के लिए कवरेज बढ़ाई जाए; वर्तमान, ईपीएफ, ईएसआई और अन्य 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कानूनी रूप से इन लाभों के पात्र मजदूरों के 50% को भी कवर नहीं करती हैं

- नामांकन की सुविधा के लिए केवल टोकन योगदान के साथ खेत मजदूरों और किसानों सहित कामकाजी जनता के अन्य सभी वर्गों के लिए प्रसूति, दुर्घटना संरक्षण, वरिष्ठों के लिए पेंशन, बच्चों की षिक्षा इत्यादि सहित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी वित्त पोषित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना स्थापित करें।

यह संभव है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। जनता की सेवा करने के लिए, नीतियों को तैयार करने की इच्छाशक्ति, न कि कॉरपोरेट–व्यापारिक गठजोड़ के प्रति।

5 सितंबर को संसद पर 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' सभी कामकाजी लोगों के लिए ऐसी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा माँगना है; भाजपा की मोदी सरकार को चेतावनी देने के लिए कि मौजूदा और लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कानूनों को खत्म करने के उद्देश्य से नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जन एकता जन अधिकार आंदोलन (जे.इ.जे.ए.ए.)

23 मई को देशव्यापी 'पोल खोल हल्ला बोल' अभियान

राजग सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 23 राज्यों की राजधानियों व जिला मुख्यालयों पर विभिन्न वर्गों व जनसंगठनों के जन एकता जन अधिकार आंदोलन के बैनर तले एक लाख से ज्यादा लोगों ने 23 मई को मोदी सरकार के खिलाफ 'पोल खोल हल्ला बोल' आंदोलन में भाग लिया।

दिल्ली में, दिल्ली व एन सी आर के हजारों लोगों ने भारी गर्मी में मंडी हाऊस से संसद मार्ग तक मार्च किया। संसद मार्ग पर रैली व जनसभा को संबोधित करते हुए अपने–अपने क्षेत्र में संघर्षों को तेज करने और नीतियों को बदलने के लिए सरकार को मजबूर करने और ऐसा न होने पर सरकार को बदलने के लिए राजनीतिक ताकत बनाने के लिए संयुक्त संघर्षों में अधिकतम लोगों की भागेदारी का आह्वान किया गया। रैली को संबोधित करने वालों में आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक व किसान सभा (36 कैनिंग लेन) के महासचिव हन्नान मोल्ला, किसान सभा (अजेय भवन) के महासचिव अतुल कुमार अंजान, ए आई यू टी सी के सत्यवान राठी, ए आई सी सी टी यू के संतोष रे, यू टी यू सी नेता व पूर्व सांसद मनोज भट्टाचार्य, ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के एस एन चौहान, ए आइ एम एस एस के रितु कौशिक, एम ई सी की सुचन्दा, डी एस एम एम के नत्थू प्रसाद शामिल थे। सीटू के अनुराग सक्सेना ने संचालन किया। आर के शर्मा, सत्यनारायण, पुरुषोत्तम तथा बंगाल मंच की संगवाडी व एडवा के सांस्कृतिक समूहों ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये। नई दिल्ली में हुई जन सभा में तुथुकुडि में बर्बर पुलिस गोलाबारी में हुई 13 लोगों की हत्या की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया तथा प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक मिनट का मौन रखा।

तपन सेन, हेमलता,अमरजीत कौर, एंनी राजा, कविता कृष्णन, राजीव डिमरी, मेधा पाटकर, डॉ0सुनीलम, अशोक चौधरी, निखिल डे, मधुरेष कुमार (एन.ए.पी.ए.म) विक्रम सिंह (एस.एफ.आई.) समेत आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं ने विभिन्न राज्यों में हुए प्रदर्शनों में भाग लिया।

तमिलनाडु में जन एकता जन अधिकार की कमेटी –तमिलागा मक्कल मेदई में शामिल 23 संगठनों ने जिलों में संयुक्त प्रदर्शन किए। इनमें स्टारलाइट पुलिस गोलीकांड की निंदा भी शामिल थी। चेन्नई में 5000 से अधिक लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए।

असम में आंदोलन में शामिल 34 जन संगठनों ने संयुक्त रुप से गुवाहाटी में विरोध रैली व जन सभा की। कामरुप, कामरुप(एम), नलबाडी, दरांग, नगांव तथा होजाई के लोग गुवाहाटी में हुई रैली में शामिल हुए जबकि डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, तेजपुर, सिल्चर, करीमगंज, बारपेटा, कोकराझार जिला मुख्यालयों में रैलियां व प्रदर्शन हुए। लगभग 20,000 लोगों ने राज्य व्यापी प्रदर्शनों में भागेदारी की।

मणिपुर में आयोजित की गई विरोध रैली को जन एकता जन अधिकार आंदोलन के संयोजक सीटू के सरत सलाम, एटक के एल सोतिनकुमार, एम जी एस एफ–ए आइ एस जी इ एफ के एल पुरोहित,सी डब्लयु एफ आई के क्षेत्री मायुम सांता तथा बी एस एन एल इ यू के डॉ एम नारा तथा मुतम कुल्ला ने संबोधित किया।

आंध्रप्रदेश में विजनवाड़ा में रैली आयोजित की गई। **बिहार** की राजधानी पटना मं 15000 लोगों की एक विशाल रैली हुई। राज्यों की राजधानियों –**गुजरात** में अहमदाबाद,**राजस्थान** में जयपुर ,**मध्यप्रदेश** में भोपाल,**पश्चिम बंगाल** में कोलकाता, **त्रिपुरा** में अगरतला में विशाल प्रदर्शन हुए। **हरियाणा** में मुख्यमंत्री के गृह नगर करनाल में प्रदर्शन हुआ। **उत्तरप्रदेश,हिमाचल प्रदेश,पंजाब,कर्नाटक व महाराष्ट्र** में राज्य की राजधानियों व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किये गये।

30 मई,2018 सीटू का 48 वाँ स्थापना दिवस

सीटू के हजारों सदस्यों ने शपथ ली

30 मई 2018 को सीटू के 48वें स्थापना दिवसय पर देश भर में संगठन के हजारों सदस्यों ने मजदूरों की मॉगों के लिए संघर्ष जारी रखने, नवउदारवाद के हमले में मजदूरों के हकों की हिफाजत और उनके कार्य व जीवन स्थितियों में सुधार के लिए लड़ाई जारी रखने; एक शोषणविहीन समाज, सभी मेहनतकश लोगों के लिए सम्मानजनक व अच्छे जीवन के सीटू के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीटू को मजबूत करने; संघर्ष में धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के भेदों के पार जाकर लोगों व मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमलों को रोकने के संघर्ष मजबूत व विस्तृत करने; तथा मेहनतकश लोगों को बॉटने की किसी भी कोशिश का प्रतिरोध व उसे परास्त करने के लिए संघर्ष जारी रखने की शपथ ली।

कई जगहों पर हजारों सीटू सदस्यों ने शपथ पर हस्ताक्षर भी किये। इस बारे में सीटू केन्द्र को प्राप्त कुछ रिपोर्ट इस प्रकार हैं:

केरल: सीटू स्थापना दिवस सारे राज्य में मनाया गया। प्रत्येक ट्रेड यूनियन ऑफिस पर सीटू का झंडा फहराया गया; बाजारों,अस्पतालों,कार्यस्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई और सीटू की शपथ ली गई। कार्यक्रमों का उद्घाटन करने वाले सीटू के राज्य व राष्ट्रीय नेताओं में तिरुवनंतपुरम में सीटू राज्य अध्यक्ष अनंतलावन्तम आनंदन, कन्नुर में पी नंदकुमार,पलक्कड में के के दिवाकरन,के ओ हबीब शामिल थे। शेष जिलों में सीटू के राज्य पदाधिकारी शामिल हुए।

तमिलनाडु: राज्य के सभी जिलों में सीटू का स्थापना दिवस मनाने के लिए झंडा रोहण किया गया, कन्वेंशन किये गये, गेट मीटिंग व जन सभायें की गई व शपथ ली गई।

पंजाब: सीटू का 48वाँ स्थापना दिवस पूरे राज्य तथा केन्द्र शासित चंडीगढ़ में मनाया गया। रैलियां निकाली गई सभायें हुई व शपथ ली गयी। लुधियाना, बरनाला, राजकोट, पठानकोट, अमृतसर, तरन–तारन भटिंडा, जलंधर, रोपड़, नवाशहर, मुक्तसर साहिब व मोहाली में रैलियां निकाली गयी। 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने भागेदारी की।

महाराष्ट्र: मुंबई में सिएट टायर की दो पालियों में 500 सीटू सदस्यों ने स्थापना दिवस पर शपथ ली। सभा को विवके मोंटरो, सईद अहमद व विनायक शिंदे ने संबोधित किया।

बिहार: स्थापना दिवस को 21 जिलों में मनाया गया, यूनियन कार्यालयों पर झंडारोहण किया गया,सभा बैठकें की गई व शपथ ली गयी। लगभग 2000 मजदूरों ने भागेदारी की।

राजस्थान: राज्य के अलग–अलग हिस्सों में स्थापना दिवस को व्यापक स्तर पर मनाया गया। सीटू का झंडा फहराया गया,सभायें की गई व शपथ ली गयी। हजारी सीटू सदस्यों ने शपथ पर दस्तखत किये।

उद्योग व क्षेत्र

डाक

ग्रामीण डाक सेवकों की 16 दिनी हड़ताल जीत के साथ समाप्त

22 मई को देश के 1.29 लाख ग्रामीण डाक घर शाखाओं के 3 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों की 16 दिन चली पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल (सीटू मजदूर, जून,2018) 6 जून को मोदी सरकार मंत्रिमंडल द्वारा वेतन वृद्धि की उनकी लंबित मॉग को स्वीकार किये जाने के बाद देश भर में शानदार जीत के उपलक्ष्य में की गई उत्साही रैलियों के साथ समाप्त हुई। ग्रामीण डाक सेवक मजदूरों ने सरकार की उत्पीड़न की धमकियों के साथ हड़ताल तोड़ने की कोशिश को मुकाबला करते हुए बराबर एकता बनाये रखी तथा 'वार्ता के पहले हड़ताल को वापस लेने' की सरकार की पूर्व शर्त को भी खारिज किया।

ग्रामीण डाक सेवकों की सभी यूनियनों नले अलग–अलग 22 मई 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के नोटिस दिये थे। बी एम एस की यूनियन को छोड़कर ग्रामीण डाक सेवकों की शेष सभी यूनियनें संयुक्त आंदोलन के लिए एक साथ आयीं और हड़ताल के दौरान पूरी एकता कायम रखी।

डाक कर्मचारियों की सभी फेडरेशनों (एन एफ पी ई ,एफ एन पी ओ, बी पी ई एफ) ने जी डी मजदूरों की हड़ताल को पूरा समर्थन दिया। केरल, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु,आंध्रप्रदेश व तेलंगाना में सभी विभागीय कर्मचारी 4 से 10 तक एकजुटता में हड़ताल पर रहे। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों सीटू, एटक, इंटक, केन्द्र सरकार कर्मचारियों व मजदूरों के महासंघ,डब्लयू एफ टी यू व अन्य कई संगठनों ने ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल का पूरा समर्थन किया। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने जी डी एस मजदूरां की मांगों को जल्द समाधान कर हड़ताल समाप्त कराने के लिए संचार मंत्री को संयुक्त चिट्ठी लिखी। सी पी आइ (एम)महासचिव सीताराम येचुरी तथा केरल की एल डी एफ सरकार के मुख्य मंत्री ने मॉगों के तुरन्त समाधान हेतु प्रधानमंत्री को लिखा। वामदलों के सदस्यों ने भी हस्तक्षेप किया।

सरकार जी डी एस मजदूरों को 'एक्सट्रा डिपार्टमेंटल एम्पलाईज' मानती है और उन्हें नियमित तनख्वाह के बजाय 2290 से 4575 रुपये तक का मामूली 'मासिक भत्ता' तथा उनके कुल कार्य घंटों के हिसाब से ही देती है। उनको नियमित कर्मचारियों को दिये जाने वाले अन्य लाभ भी नहीं दिये जाते हैं। इस तरह सरकार ने उन्हें 7वें वेतन आयोग में शामिल करने से इंकार किया; तथा उनके वेतन व सेवा के हालातों के बारे में कमलेश चन्द्र समिति का गठन किया। समिति ने नवम्बर 2016 में दी अपनी रिपोर्ट में भत्तों,कम्पोजिट भत्ते,शिक्षा भत्ते को बढ़ाने, तीन समयबद्ध पोन्नतियों, 6 महीने का भुगतान समेत मातृत्व अवकाश, 35 दिनों की छुट्टी आदि की सिफारिश की। लेकिन 18 महीन बीत जाने पर भी सरकार इन्हें लागू करने को तैयार नहीं थी।

अतंतः केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 6 जून की अपनी बैठक में वेतन पुनर्निर्धारण की मुख्य सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानने तथा वेतन में अंतर के बकाया के भुगतान को एक ही किस्त में अदा करने को मंजूरी दे दी। वेतन में वार्षिक 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

कैबिनेट बैठक के बाद केन्द्रीय संचारमंत्री को उद्वघृत करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया है कि इसके साथ जिस ग्रामीण डाक सेवक को 2295 रुपये मिल रहे थे उसे अब 10,000 रुपये मिलेगें; जिसे 2,745 रुपये मिल रहे थे उसे 12,000 रुपये; और जिसे 4,115 मिल रहे थे उसे 14,500 रुपये मिलेगें। ताकि सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वेतन में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मंहगाई भत्ता 7 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते भी बढ़े हैं।

(योगदान : एम कृष्णन,सेक्रेटरी जनरल, कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गर्वनमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स)

बैंक

बैंकों में रही 2 दिन पूर्ण हड़ताल

21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 12 पुरानी पीढ़ी के निजी बैंको व 7 विदेशी बैंको समेत 40 बैंको में लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की 30 व 31 मई 2018 की दो दिन की पूर्ण हड़ताल से समूचे देश में बैंको का काम–काज पूरी तरह ठप्प रहा। बैंक कर्मियों व अधिकारियों की 9 यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यू एफ वी यू) ने बैंको के घाटे के नाम पर मात्र 2 प्रतिशत वेतन वृद्धि की आई बी ए की पेशकश के खिलाफ 9 व 10 मई को देश भर में बैंको के सामने प्रदर्शनों के बाद हड़ताल का आह्वान किया था। वेतन पुनर्निर्धारण 1 नवम्बर, 2017 को होना था। (सीटू मजदूर जून, 2018) नवम्बर 2012 से अक्टूबर 2017 तक के लिए हुए पिछले वेतन समझौते में 15 प्रतिशत की वेतन वृद्धि हुई थी।

सी एल सी (सेंट्रल) द्वारा यू एफ बी यू, आई बी ए व वित मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ की गई 20 मई की समझौता बैठक असफल रही थी। इस बैठक में यू एफ बी यू ने कहा कि डुबाऊ कर्जों व उनके कारण बैंको को हुए नुकसान को वेतन पुनर्निर्धारण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यू.एफ.बी.यू. नेताओं ने आँकड़े पेश कर बताया कि कैसे ऑपरेटिंग प्रोफिट दोगुना हुआ है, स्टाफ के खर्चे घटे हैं तथा बिजनेस दोगुने से अधिक हो गया है।

बैंको के लाभ-हानि पर बेफी की राय

30 मई को जारी एक बयान में बेफी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने मिलकर 204–2017 के बीच तीन वर्षों में कमशः 1.38 लाख करोड़ रुपये 1.36 लाख व 1.58 लाख करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

गैर निष्पादित संपत्तियों (एन पी ए) में भारी बढ़ोत्तरी और इसके चलते इनके साथ जुड़ी विशालकाय प्रोविजनिंग बहुत हाल की देन है। सभी सार्वजनिक बैंको के कुल डुबाऊ कर्जे जो 2013–2014 की समाप्ति पर 2.29 लाख रुपये थे 31 दिसम्बर, 2017 तक तीन गुने से अधिक बढ़कर 7.70 लाख करोड़, जमा कोर तक पहुँच चके थे। इन डुबाऊ कर्जों का 85 प्रतिशत से अधिक बड़े कारपोरेटों के ऊपर है जिनके केन्द्र में बैठे राजनितिक आकाओं और बैंको के उच्च पदों पर आसीन लोगों के साथ नापाक रिश्ते हैं। आर बी आई ने ऐसे 12 कारपोरेटों की पहचान की है जिन पर 2, 53, 733 करोड़ रुपये का डुबाऊ कर्ज है जिसके एवज में सार्वेजनिक क्षेत्र के बैंको ने इन तीन वर्षों में 1, 00900 करोड़ रुपये, 1, 54, 918 करोड़ तथा 1, 70, 370 करोड़ रुपये तथा प्रोविजन किया है। जहाँ मुनाफे बैंक कर्मियों के समपर्ण व मेहनत से पैदा हो रहे हैं वहीं कारपोरेटों को डुबाऊ कर्जों के एवज में प्रोविजन के छेद से उन्हें साफ करने की छूट मिली हुई है।

जबकि 1 प्रतिशत वेतन वृद्धि करने पर केवल 500 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। (सी ए आर ई) (केअर) रेटिंग रिर्पोट कहती है कि अभी तक (वित वर्ष 2017–18) चौथी तिमाही तक परिणाम घोषित करने वाले 26 बैंको के डुबाऊ कर्जों में तीसरी तिमाही के बाद से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई दिखाई गई है।

बिजली

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 के खिलाफ

कर्मचारियों व इंजीनियरों की देशव्यापी हड़ताल

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 के विरोध में 7 दिसम्बर, 2018 को सुबह 6 बजे से 8 दिसम्बर की सुबह 6 बजे तक देशभर में पॉवर सेक्टर के 25 लाख कर्मचारी व इंजीनियर 24 घंटे की हड़ताल करेंगे। नई दिल्ली में 8 जून, 2018 को हुए बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में यह फैसला लिया गया।

भागीदारी करने वाली यूनियनों व फेडरेशनों व समर्थन करने वाली केन्द्री ट्रेड यूनियनों के बीच यह समझदारी बनी है कि जिस दिन मोदी सरकार विधेयक को संसद में पारित कराने की कोशिश करेगी, उस दिन सारे देश में पॉवर सेक्टर में फ्लैश स्ट्राइक होगी।

कन्वेंशन का आयोजन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के सहयोग से नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले किया गया। समूचे देश में पॉवर सेक्टर के 25 लाख कर्मचारियों व इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी यूनियनों व फेडरेशनों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए।

कन्वेंशन ने 10 सूत्री माँगों व हड़ताल की कार्रवाई के साथ सर्वसम्मति से एक घोषणापत्र पारित किया। माँगों में, बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 को वापस लिये जाने; बिजली के अधिकारों के मानव अधिकार के रुप में सुनिश्चित करने; बिजली अधिनियम 2003 के बुरे असर को पलटने; बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश को रोकने; समान काम के लिए समान वेतन तथा ठेका, कैजुअल, आऊटसोर्स मजदूरों को नियमित किये जाने; सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना; तथा सुरक्षित कार्य हालातों की माँगे शामिल हैं।

बिजली(संशोधन) विधेयक, 2014 विद्युत वितरण को दो भागों–'कैरिज' (उपभोक्ताओं तक बिजली ले जाने वाले संजाल) और 'सप्लाई'(बिजली की उपभोक्ता को बिक्री) में विभक्त करने का प्रस्ताव करता है। ले जाने (कैरिज) की जिम्मेदारी मुख्यतः सरकार की होगी जबकि बिक्री को कई सारे निजी आपूर्तिकर्ताओं के हवाले कर दिया जायेगा जो बिना किसी निवेश के उच्च स्तरीय उपभोक्ताओं के लिए आपस में प्रतियोगिता करेंगे तथा नुकसान में जाने वाली मुख्यतः ग्रामीण इलाकों की आपूर्ति के काम को सरकारी स्वामित्व के लाइसेंस धारक के लिए छोड़ देंगे। यह संशोधन बिजली के लिए क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था को समाप्त कर देगा; इससे घरेलू उपभोक्ताओं का शुल्क बहुत अधिक हो जायेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण कंपनियों डिस्कॉम, का घाटा कई गुना हो जायेगा।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सीटू महासचिव तपन सेन ने कहा कि पॉवर सैक्टर कर्मचारियों का यह संघर्ष आम लोगों, गरीबों को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत बिजलीकरण के मोदी के लम्बे चौड़े दावों के बावजूद देश में 30 प्रतिशत लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने की कोशिश की जायेगी। वाम दलों को छोड़कर और कोई इसका मजबूत विरोधी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि संघर्ष को तेज किया जाये और बड़े अभियान के रुप में इसे लोगों तक ले जाया जाये। एटक महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि बिजली के अधिकार को आवश्यक ही मानवअधिकार माना जाये जिसके बिना आधुनिक जीवन शैली जीना असंभव है। उचित ही राष्ट्रीय समन्वय समिति ने सभी नागरिकों को बिजली के अधिकार की मॉग की है। समन्वय समिति, यूनियनों व फेडरेशनों के कई अन्य नेताओं ने भी कन्वेंशन को संबोधित किया।

यह कन्वेंशन, क्षेत्रीय कन्वेंशनों तथा गतः 3 अप्रैल को संसद के सामने हुई विशाल विरोध –रैली समेत विरोध कार्रवाईयों की एक पूरी श्रृंखला का समापन था।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर देशव्यापी हड़ताल की ओर

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 30 मई, 2018 को नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय कन्वेंशन में जल्द से जल्द सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया। हड़ताल की तारीख शामि संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से तय की जायेगी। कन्वेंशन ने सी पी एस यू मजदूरों व जनता के बीच सघन अभियान छेड़ने, गेट मीटिंग करने, कार्य स्थलों आवासीय इलाकों में रैलियां करने तथा जुलाई तक काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

कन्वेंशन का आयोजन संयुक्त रुप से सीटू, इंटक, एटक, एच एम एस, एल.पी.एफ. से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों व फेडरेशनों जे.ए.एफ. बेंगलुरु तथा सी.पी.एस.यू., टी.यू.सी.सी. हैदराबाद ने किया। लगभग 350 प्रतिनिधियें ने देश के सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर से इसमे भाग लिया।

कन्वेंशन में 8 सूत्री माँगो वाला संयुक्त हस्ताक्षर युक्त घोषणा पत्र पारित किया गया।

माँगें

- सी.पी.एस.यू. विनिवेश / निजीकरण न करने;
- सी.पी.एस.यू. को पुनः खड़ा करने;
- 'तय अवधि रोजगार' की अधिसूचना को रद्द करने;
- स्थायी कर्मचारियों की तरह ठेका मजदूरों के वेतन का पुननिर्धारण;
- ठेका श्रम (उन्मूलन व नियमन)अधियम 1970 में कोई संशोधन न किये जाने;
- संतोषजनक वेतन समझौते को तुरन्त निष्कर्ष पर पहुँचाने;
- हर तीन वर्ष में मुनाफे व वेतन की समीक्षा के डी पी ई नियमों को रद्द किये जाने; और
- समझौते की अवधि को 5 वर्ष किये जाने की माँगें शामिल हैं।

मोदी सरकार का सार्वजनिक उपक्रमों पर ताजातरीन हमला

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन के एक सप्ताह के भीतर मोदी सरकार ने दो नीतिगत फैसल लिए जिनका प्रभाव 'सी.पी.एस.यू.' के लिए विनाशकारी होगा– इनमें एक तो सभी कार्यरत उपक्रमों पर प्रभावी निजी नियन्त्रण का है और दूसरा सभी तथाकथित बीमार/घाटे वाले उपक्रमों को जल्द से जल्द मटियामेट करने का है।

मोदी सरकार ने सी.पी.एस.यू. में सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 49 प्रतिशत तक ले आने का कदम उठाने की शुरूआत कर दी है जिससे सभी सी पी एस यू पर प्रभावी निजी नियन्त्रण हो जायेगा। सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि सभी विनिवेश सी पी एस यू के बोर्ड ऑफ डाररेक्टर्स का नजरिया व तौर–तरीका निजी प्रबंधन व तौर तरीकों के जैसा होगा। कुल मिलाकर ऐसे सी.पी.एस.यू. की संख्या 250 से ऊपर है जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है। ऐसे उपक्रमों में एन.टी.पी.सी., सेल, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।

मोदी कैबिनेट ने 6 जून की बैठक में एक अन्य फैसले में तथाकथित बीमार या घाटे वाले सी पी एस उपक्रमों के समयबद्ध निपटारे तथा ऐसे उपक्रमों की सभी चल व अचल संपत्तियों की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन (केन्द्र)

केन्द्र सरकार ने 3 अप्रैल, 2018 की एक अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय दायरे के न्यूनतम वेतन में 31 दिसम्बर, 2017 तक के मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) को जोड़ दिया जिससे 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो गयी है।

इसमें शामिल हैं:

(प्रति दिवस रुपये में)

<u>खेत मजदूर; इलाकेवार – ए/बी/सी</u>

अकुशल– 352/321/318; अर्धकुशल– 385/354/325; कुशल– 418/385/353; अतिकुशल– 463/430/385; लिपिकीय– 418/385/353;

<u>खदानें : सतह पर/ भूमिगत</u>

अकुशल– 370/462; अर्धकुशल– 462/553; कुशल/ लिपिकीय– 553/645; अतिकुशल– 645/722;

<u>निर्माण:</u>

अकुशल– 553/462/370; अर्धकुशल– 612/522/433; कुशल/ लिपिकीय– 673/612/522; अतिकुशल– 732/673/612;

<u>पत्थर खदानें: नरम मिट्टी/नरम मिट्टी चट्टान के साथ/चट्टान/हटाना व लगाना</u>

372/561/743/299

राज्यों से

पश्चिम बंगाल

पेट्रोल–डीज़ल के आसमान छूते दामों के विरूद्ध मजदूरों का राज्यव्यापी रास्ता रोको आन्दोलन

में 30 हजार से अधिक मजदूर 31 मई को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच पेट्रोल व डीजल के आसमान छूते मूल्य के विरोध में राज्य भर में एक ही साथ हुए रास्ता रोको आन्दोलन में शामिल हुए तथा सेंट्रल एक्साईज़ ड्यूटी में अच्छी–खासी कटौती तथा केन्द्रीय व राज्य सेस को वापस लेने की माँग की। मजदूरों के विरोध का आह्वान केवल एक दिन पहले 30 मई को सीटू राज्य, केन्द्र में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की पश्चिम बंगाल राज्य इकाईयों की पेट्रोल–डीजल की कमरतोड़ महंगाई की पृष्ठभूमि में हुई बैठक में लिया गया। वामदलों ने आंदोलन का समर्थन किया।

एक्साईज़ ड्यूटी में वृद्धि के अनुरूप केन्द्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने पर जनता को कोई लाभ नहीं देती। वहीं मूल्य संवर्धन व्यवस्था के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में होने वाली हर बढ़ोतरी जनता पर बोझ को और बढ़ा रही है।

कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां युद्धस्तर पर की गयीं। आनन–फानन में हुई सूचना के बावजूद मजदूरों ने बढ़–चढ़ कर भागेदारी की और जनता का भी व्यापक समर्थन मिला। कई स्थानों पर जनता अन्य तबके भी विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य में 273 विभिन्न स्थानों पर रास्ता रोको सफलतापूर्वक किया गया। सीटू नेता सभी स्तरों पर रास्ता रोको कार्यक्रमों में शामिल रहे।

कुछ स्थानों पर, टी एम सी नीत सरकार की पुलिस ने रास्ता रोको को रोकने की कोशिश की; लाठीचार्ज किया तथा आंदोलन कर रहे मजदूरों व उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

असम

धार्मिक आधार पर नागरिकता का विरोध

सीटू व वामपंथ द्वारा आंदोलन

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 और महंगाई विशेषकर पेट्रोल–डीजल की मूल्य वृद्धि असम में सीटू व वाम दलों के आंदोलन का मुख्य एजेंडा बना। असम में सीटू लोगों के सभी तबकों के बीच एकता व अमन के लिए अभियान चला रही है और सी आर यू तथा मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ की इसकी इकाईयों ने विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है और विरोध रैलियां भी की हैं।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 जो अभी संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास है, धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, विशेषतौर पर उन हिन्दू, अवैध प्रवासियों को, लेकिन ऐसे ही मुसलमान प्रवासियों को उससे वंचित कर रहा है। विधेयक नागरिकता प्रदान करने के लिए नैचुरेलाइजेशन की सीमा को भी 11 वर्ष से कम कर 6 वर्ष करता है। यह संशोधन भाजपा के 2014 के चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप है। यह संशोधन असम समझौते के अनुरूप व सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एन आर सी) को भी बेमतलब कर भ्रम को घना कर रहा है।

स्थिति का लाभ उठाकर भाजपा व संघ परिवार असम के लोगों का हिन्दू व मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तथा विधेयक का विरोध करने के लिए वामपंथ को निशाना बना रहे है। कुछ अतिवादी ताकतें सक्रिय हो गयी हैं और इसे एक बंगाली –विरोधी आंदोलन का रंग देने की कोशिश कर रही है।

ट्रेड यूनियनों ने खारिज़ की असम सरकार की 'श्रम कल्याण सोसायटी'

असम सरकार ने "श्रम मामलों के बेहतर समन्वय व प्रबंध" के उद्देश्य से भाजपा विधायकों, पंचायत प्रधान आदि को लेकर एक 40 सदस्यीय 'असम लेबर वैलफेयर सोसायटी' का गठन किया है और इसे सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत कराया है।

'असम लेबर वैलफेयर सोसायटी' के गठन की अधिसूचना के खिलाफ 6 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों – सीटू, इंटक, एटक, ए आइ सी सी टी यू, एच एम एस व ए आइ यू टी यू सी ने इसे खारिज़ करते हुए इसका विरोध करने का फैसला किया है। यह सोसायटी श्रम कानूनों को लागू कराने का कार्य करेगी और इस तरह से श्रम विभाग की भूमिका गौण हो जायेगी। इसकी मंशा 'श्रम अधिकारों' को 'श्रम कल्याण' में बदलने की है। ट्रेड यूनियनों ने अधिसूचना को वापस लिए जाने की माँग करते हुए राज्य के श्रम मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है।

झारखण्ड

आंगनवाड़ी कर्मियों की विशाल रैली

सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध तथा झारखण्ड की 4 स्वतंत्र राज्य यूनियनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विशाल रैली में 30 मई को राजधानी रांची में प्रदेश के विभिन्न भागों से हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों ने भाग लिया तथा राज्य सरकार के विश्वासघात के विरोध में व पूर्व में हुए समझौते को लागू कराने की मांग करते हुए सचिवालय की ओर मार्च किया। जुलूस का नेतष्त्व सीटू की आंगनवाड़ी फेडरेशन की महासचिव व सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए आर सिंधू व राज्य आंगनवाड़ी यूनियनों के मोर्चे की नेताओं सुंदरी तिरकी, सुशीला हंसदा, पूर्णिमा चौधरी, मीनु मुरमू, अशोक कुमार सिंह, संजय पासवान, लखनलाल मंडल व अन्य ने किया। जुलूस को राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया जहाँ यह एक रैली व जन सभा में बदल गया जिसकी अध्यक्षता मोर्चे की नेता दमयंती देवी ने की।

रैली को संबोधित करते हुए ए आर सिंधू ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने आंगनवाड़ी कर्मियों का वेतन बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आते ही पहले ही बजट में मोदी ने आइ सी डी एस के बजट में लगभग 60 प्रतिशत की कटौती की। अब सरकार की मंशा पूरे कार्यक्रम का निजीकरण करने तथा 8 करोड़ बच्चों व 1.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवा प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम को बंद करने की है जिसने देश में बाल कुपोषण व जच्चा–बच्चा मष्त्युदर को कम करने मे बड़ा योगदान दिया है।

सभा को संबोधित करते हुए मोर्चे की नेता सुंदरी तिरकी ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मी देश में कुपोषण से लड़ने में सबसे आगे है। तब भी वे सबसे उपेक्षित हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारी की मान्यता नहीं है; न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता।

मोर्चे के नेताओं ने सरकार को अपनी माँगों पर जवाब के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जिसके बाद वे संयुक्त रूप से आंदोलन का ऐलान करेंगे।

बिहार

हड़ताल के बाद रक्षा ठेका मजदूरों की जीत

सीटू से संबद्ध डिफेंस प्रोडक्शन कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन के नेतष्त्व में बिहार राजगीर में रक्षा उत्पादन इकाई के मजदूर 24 मई, 2018 से पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये। वे अपने रोजगार की सुरक्षा तथा कार्य के हालात विशेषकर मौखिक आदेश से उन्हें रोजगार से हटाने, रोटेशन के नाग पर महीने में 20 दिन का काम देने आदि के स्थानीय प्रबंधन के मनमाने रवैये का विरोध ा की रहे थे।

यूनियन व महाप्रबंधक के बीच वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त हुई और 4 सूत्री समझौता हुआ जिसमें कहा गया है कि किसी भी मजदूर को रोजगार से नहीं हटाया जायेगा और उन्हें पूरे महीने का काम मिलेगा; हड़ताली मजदूरों की रोजमर्रा समस्याओं के समाध ान के लिए प्रबंधन व यूनियन की एक कमेंटी गठित होगी; और यह कि अन्य माँगो पर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी।

अन्य माँगों में, ई पी एफ खाते का वार्षिक ब्यौरा; ई एस आइ कार्ड प्रदान करने; बिना किसी कारण के वेतन में कटौती या कमी को बंद करने व ऐसी कटौती को वापस लौटाने; 2017–18 के लिए बोनस; बकाया के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान; नियमित मजदूरों के समान अवकाश व छुट्टियां; ओवरटाईम का सुनिश्चित भुगतान ; नियत समय पर वेतन भुगतान; आदि मांगे शामिल हैं। सीटू राज्य समिति ने इस जीत पर मजदूरों को बधाई दी। (योगदानः शंकर शाह)

हिमाचल प्रदेश

आंगनवाड़ी यूनियन द्वारा सचिवालय का घेराव

आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन (सीटू) की राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की हजारों आंगनवाड़ी वक्रर्स एवं हैल्पर्स ने प्रदेश सचिवालय का 7–8 जून, 2018 को घेराव किया तथा केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की केन्द्र सरकार के पिछले चार वर्षों में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की और उलटा बजट में कटौती कर दी। प्रदेश में राज्य सरकार भी चोर दरवाजे से आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद करने की साजिश रच रही है। पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा व पंजाब में आंगनवाड़ी वक्रर्स एवं हैल्पर्स का वेतन हिमाचल के मुकाबले दो से तीन गुना हो गया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स का वेतन नाम मात्र ही बढ़ा रही है। आज मंहगाई के दौर में मौजूदा वेतन काफी नहीं है। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी है परंतु आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ 100/200 रु0 मासिक वृद्धि कर भद्दा मजाक किया जा रहा है।

इसलिए यूनियन की मांग है कि हिमाचल प्रदेश में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स को हरियाणा की तर्ज पर 11, 500 रु0 मासिक तथा हैल्परज को 6, 000 रु0 मासिक वेतन दिया जाए तथा हरियाणा की तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स के सेवाकाल के हिसाब से वेतन तय किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का फरमान जारी किया गया है। इससे आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या कम हो जाएगी और राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद करने का बहाना मिल जाएगा। जबकि बाल विकास परियोजना को शुरू करते समय यह अवधारणा रही है कि उसे 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री– स्कूल शिक्षा भी दी जाए और उन्हें पोषाहार भी दिया जाए।

हिमाचल प्रदेश में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री– स्कूल शिक्षा दी जा रही है और पोषाहार भी दिया जा रहा है। परन्तु राज्य सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद करने की साजिश रच रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन राज्य सरकार की इस साजिश को सफल नहीं होने देगी। यूनियन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स के सेवानिवृति होने पर उसे 3000 रु0 मासिक पैन्शन दी जाए तथा दो लाख रुपये गैच्यूटी दी जाए।

यूनियन की मांग है कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष की जाए। यूनियन ने मांग की है कि केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित की जाने वाली पोषाहार के पैसे को लाभार्थियों की माताओं के खाते में डालने संबंधी केस को तुरंत वापिस लिया जाए। केन्द्र सरकार भी इसी बहाने आंगनवाड़ी केन्द्रों को बन्द करना चाहती है। यूनियन ने मांग की है कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स का वेतन भी राज्य अन्य आंगनवाड़ी वर्कर्स के बराबर किया जाए।

आंगनवाड़ी वर्कर्स की जनसभा को सीटू के राष्ट्रीय सचिव कशमीर सिंह ठाकुर, सीटू राज्य अध्यक्ष जगत राम, महासचिव प्रेम गौतम, सचिव विजेन्द्र मेहरा, सीटू के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंघा तथा आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्षा खिम्मी भण्डारी, महासचिव राजकुमारी, संयुक्त सचिव वीना शर्मा, राज्य कमेटी सदस्य राज कुमारी व हिम्मी देवी तथा सुमित्रा ठाकुर ने सम्बोधित किया।

सभी वक्ताओं ने राज्य सरकार की आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स विरोधी नीतियों की निंदा की। यदि सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स की मांगें नहीं मानी तो संसदीय चुनावों में सरकार को इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। 7 जून, 2018 को आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री से मिला। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन किया कि प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों के प्रति संवेदनशील है और कहा कि मुख्य मंत्री महोदय के संज्ञान में भी इसे लाया जाएगा। 8 जून, 2018 को मुख्य मंत्री महोदय से आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन व सीटू के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह हिमाचल

प्रदेश के संसाधन नहीं है परन्तु फिर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर सहानभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। यूनियन ने मुख्य मंत्री महोदय के आश्वासन पर 7–8 जून का महापड़ाव समाप्त किया और यह संकल्प लिया कि यदि प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी की मांगों के प्रति सकारात्मक रूख नहीं दिखायी तो नवम्बर 2018 में दोबारा सचिवालय का घेराव किया जाएगा।

सीमेंट कारखाने में आन्दोलन

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के वाधा व वधेटी में स्थिति सीमेंट कारखानों में 5 जून, 2018 को एक दिन की हड़ताल का आयोजन किया गया। फरवरी 2018 में वाधा व वधेटी सीमेंट प्लांट में मजदूरों की यूनियनों ने अल्ट्राटैक प्रवंधक को एक मांग पत्र दिया था। मांग पत्र में मांग की गई कि सीमेंट प्लांट के सभी मजदूरों को कम से कम 18,000 रु0 न्यूनतम वेतन दिया जाए, यह भी मांग की गई कि सभी मजदूरों को सीमेंट वेज बोर्ड में लिया जाए। यूनियन ने मांग की कि ई एण्ड पी रोल को खत्म किया जाए और सभी कर्मचारियों को वेज बोर्ड में लिया जाए। पैंकिग प्लांट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सीमेंट वेज बोर्ड में लिया जाए तथा उन्हें सभी सुविधाएं दी जाए। यूनियन ने मांग की है कि आई टी आई होल्डर कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाए तथा सीमेंट वेज बोर्ड में लिया जाए। इन दोनों कारखानों में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को सीमेंट वेज बोर्ड में लिया जाए। सीमेंट प्लांट में कायर्ररत कार्ड होल्डर मजदूरों को उनके पद के अनुसार वेतन दिया जाए। सीमेंट उद्योग में लगे सभी कर्मचारियों को सीमेंट वेज बोर्ड में लिया जाए सीमेंट प्लांट में प्राकृतिक मौत/दुर्घटनावश मौत होने पर कर्मचारियोंके हित में नीति बनायी जाए। प्लान्ट में कार्यरत भूमि विस्थापितों को सीमेंट वेज बोर्ड में लिया जाए। सभी कर्मचारियों की लम्बित पदोन्नति तुरन्त दी जाए। सभी ठेकाकर्मियों को अन्य कर्मचारियों की तरह वर्दी दी जाए।5 तारीख को वधेटी में 100% हड़ताल रही और वाधा सीमेन्ट प्लान्ट में 30 के लगभग मजदूर ड्यूटी पर गए, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित रहे है। परन्तु कारखाने में पूरा काम ठप्प रहा। अल्ट्राटैक प्रबंधन ने मजदूरों की एकता तोड़ने व बी.एम.एस. को मजबूत करने के बहुत प्रयास किया, परन्तु मजदूरों ने प्रबंधन की बातों को नहीं सुना और 5 जून 2018 को वधा में एक विशाल जन सभा की जिसे सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव ए.डी. रणौत, यूनियन के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर व महासचिव बलवीर सिंह ने सम्बोधित किया। वधेरी में मजदूरों की जन सभा को सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम तथा सीटू के अध्यक्ष जगत राम ने संबोधित किया। सीटू ने प्रबंधन को चेताया है कि यदि उन्होने मजदूरों की मांगों गौर नहीं किया तो आन्दोलन उग्र किया जाएगा।

राजस्थान

नेशनल हैंडलूम मजदूरों के साथ एकजुटता रैली

सीटू से संबंद्ध नेशनल हैंडलूम कर्मचारी यूनियन के आंदोलन के 43 वें दिन 26 मई को नेशनल हैंडलूम कारपोरेशन के सामने एक विशाल एकजुटता रैली व सभा आयोजित की जिसमें हजारों सीटू मजदूर व अन्य जनसंगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। सभा में वक्ताओं ने नेशनल हैंडलूम कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से उनकी मांगों को स्वीकार करने व समस्याओं का समाधान करने की मांग की।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	ekp 2018	vi y 2018
vk/k in'k	x.Vj	278	278
	gnjkckn	277	276
	fo'kk[kkiÿkue	280	280
	okjxy	260	260
vle	MeMek frulf[k;k	249	249
	xokgkVh	257	258
	ycd flYpj	241	244
	efj;kuh tkjgkV	240	244
	jxkikjk rtij	307	307
fcgkj	e?kj&tekyij	287	289
p.Mhx<	p.Mhx<	311	312
NÿkhlX<	fHkykb	264	264
fnYyh	fnYyh	311	319
Xkkvk	xkvk	268	266
Xktjkr	vgenkckn	268	270
	Hkkouxj	277	276
	jktdkV	258	258
	ljr	264	264
	oMknjk	259	261
gfj;k.kk	Qjhnkckn	275	276
	;euk uxj	256	257
fgekpy	fgekpy çn'k	269	269
tEe ,o d'ehj	Jhuxj	283	282
>kj[k.M	ckdkjk	309	314
	fxfjMhg	335	336
	te'kniij	316	317
	>fj;k	328	333
	dkMek	330	333
	jkph gfV;k	294	295
dukVd	cyxke	286	288
	cxykj	311	312
	gcyh /kkjokM	297	297
	ejdjk	296	297
	elij	297	301
djy	,.kkdye@vyob	301	303
	e.MkD;ke	329	330
	fDoyku	288	289
e/; çn'k	Hkkiky	289	291
	fNnokMk	261	263
	bnkj	287	287
	tcyij		

jkT;	dn	ekp 2018	vi y 2018
egjk"V	eEcb	287	290
	ukxij	323	325
	ukfld	304	303
	i.k	292	293
	'kkykij	295	294
mMhlk	vkxy&rkypj	301	302
	jkmjdyk	305	301
ikfMpfj	ikfMpfj	307	307
itkc	verlj	297	295
	tkyU/kj	292	292
	yf/k;kuk	276	278
jktLFkku	vtej	265	265
	HkhyokMk	276	275
	t;ij	275	275
rfeyukM	pUu	265	267
	dk;EcVj	270	273
	dUuj	289	293
	enjkb	275	277
	lye	273	274
	fr#fpjkiYyh	280	284
ryxkuk	xknkojh[kkuh	292	293
	gnjkckn	249	249
	okjxy	293	295
f=ijk	f=ijk	261	260
mÿkj çn'k	vkxjk	316	317
	xkft;kckn	293	292
	dkuij	299	302
	y[kuÅ	290	291
	okjk.klh	288	289
if'pe cxky	vklulky	310	313
	nkftfyx	271	267
	nxkij	312	313
	gfYn;k	317	320
	gkoMk	277	277
	tkyikbxMh	281	280
	dkydkrk	269	273
	jkuhxt	261	263
	flyhxMh	263	265
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		287	288

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

संटू का 48वां स्थापना दिवस

(रिपोर्ट पृ 17)

djy e 'kiFk xg.k o LoPNrk dk;Øe

jktLFkku e LFkkiuk fnol ij 'kiFk

>kj[kM e vkxuokMh dfe;k dh jlyh

दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र का कन्वेंशन

(रिपोर्ट पृ० 20)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/07/2018)

जनएकता जन अधिकार का 'पोल खोल हल्ला बोल' आंदोलन

(रिपोर्ट पृ० 16)

पटियाला, पंजाब

जयपुर, राजस्थान

बलिया, उत्तर प्रदेश

इम्फाल, मणिपुर

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**